# लेखापरीक्षण अहवाल 2024 - 2025

### ${name\_of\_society}

### तालुका ${taluka}, जिल्हा ${district}

### ऑडिट वर्ग ${lekha\_parikshan\_vargwari}

${audit\_name}  
( प्रमाणित लेखापरीक्षक )

${audit\_name}  
प्रमाणित लेखापरीक्षक   
${audit\_registration\_no}

नामतालिका क्र. 11111111,  
नामतालिका वर्गवारी “${namtalika\_vargwari}”  
कार्यालयाचा पत्ता  
${society\_address}  
ई-मेल ${audit\_email}  
मो. नंबर - ${audit\_phone}  
जा.क्र. ${audit\_javak\_kramank} दिनांक ${audit\_date}

प्रति,

#### मा. अध्यक्ष / सचिव, ${chairman} ${name\_of\_society} रं. नं., 11111,

#### विषय:- ${name\_of\_society} ${audit\_year} चा वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल

#### संदर्भ:-

लेखापरीक्षक नियुक्तीचा संस्थेचा ठराव क्र. 0${district} दि. , किंवा मा. ------ निबंधक, ------ कार्यालयाचे परंतुकान्वये लेखा परीक्षक नियुक्तीचे आदेश क्र. ---------- दि. ----------

वरील विषय व संदर्भास अनुसरुन, आम्ही ${name\_of\_society} संस्थेचे दि. 01/04/2024 ते 31/03/2025 या कालावधीचे वैधानिक लेखापरीक्षण केलेले असुन, यासोबत वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात येत आहे. या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात नमुद केलेल्या सर्व दोषांची पुर्तता करुन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 82 व नियम 73 नुसार दोष दुरुस्ती अहवाल, विहित “ओ” नमुन्यात, 3 प्रतीत संचालक मंडळ सभा मंजुरी ठराव प्रतीसह विहीत मुदतीत आम्हास सादर करावा. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 82 मधील तरतुदीनुसार, संस्था संपुर्ण दोषांची दुरुस्ती करेपर्यंत, संस्थेच्या दुरुस्ती अहवालवर आमचे बाबनिहाय अभिप्राय देणे आणि निबंधकाला आमचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी आमची असल्याने अहवालातील नमुद सर्व दोषांची प्रत्यक्षात पुर्तता करुन, दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. आपण ज्या दोषांची पुर्तता प्रत्यक्षात करणार नाहीत असे दोष अमान्य करुन पुर्ततेस्तव पुनश्चः कळविण्यात येतील, तसेच संपुर्ण दोषांची समाधानकारक व प्रत्यक्ष पुर्तता झाल्यानंतरच “दोषदुरुस्ती अहवालाच्या अनुषंगाने सर्व दोष निरंक झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र” संस्थेस व निबंधकांना सादर करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. सोबत:- लेखापरीक्षण अहवालः पृष्ठे 1 ते 48

प्रतिलिपी सादर -1) मा. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था तालुका भंडारा   
2) मा. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग -1, सहकारी संस्था भंडारा  
3)मा. सहनिबंधक (ले.प.), राज्यस्तरीय लेखा समिती पुणे, (वसुल भागभांडवल रु.5 लाखापेक्षा जास्त असल्यास)  
4) भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा -----------------

#### अनुक्रमणिका

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ. क्र. | तपशिल | पान क्र. |
| 1 | लेखापरीक्षक नियुक्तीचा ठराव/ परंतुकाचे आदेश व लेखापरीक्षक शुल्क आकारणी माहिती | **1 ते 9** |
| 2 | सारांश अहवाल (Executive Summery) | **10 ते 19** |
| 3 | नमुना :- 1 चे सर्वसाधारण शेरे व माहिती | **-- ते --** |
| 4 | नमुना :- 8 चे  सर्वसाधारण शेरे व माहिती | **-- ते --** |
| 5 | कलम 81 (2) नुसार 1 ते 9 मुददावर द्यावयाचे शेरे | **-- ते --** |
| 6 | **विभाग ‘‘अ’’** | **20 ते 24** |
|  | अ) गैरव्यहार, अफरातफर फसवणुक, बनावट कागदपत्रांद्वारे लेखापरीक्षणात निर्देशनास आलेला अपहार :- | **-- ते --** |
| 7 | ब) लेखापरीक्षणात निर्देशनास आलेल्या आर्थीक नुकसानीबाबत. | **-- ते --** |
|  | क) अन्य महत्वाच्या व ग्रभीर बाबी ज्या निबंधकाच्या निर्देशनास आणने आवश्यक आहे. | **-- ते --** |
|  | **विभाग ‘‘ब’’** | **25 ते 27** |
|  | अ) व्यवस्थापन विभाग | **-- ते --** |
|  | 1. संस्था नोंदणी | **-- ते --** |
|  | 2. संस्था कार्यक्षेत्र | **-- ते --** |
|  | 3. संस्थेचे मुख्य कार्यालय व शाखा | **-- ते --** |
|  | 4. संस्थेचे उददेश | **-- ते --** |
|  | 5. सभासदत्व | **-- ते --** |
|  | 6. सभा कामकाज | **-- ते --** |
|  | 7. संस्थेचे संचालक मंडळ निवडणुक कालावधी | **-- ते --** |
|  | 8. अंतर्गत नियंत्रण | **28 ते 36** |
|  | 1)   सेवक कामकाज | **-- ते --** |
|  | 2)   शाखा अंतर्गत व्यवहार | **-- ते --** |
|  | 3)   विविध लेखापरीक्षण व अन्य तपासण्या | **-- ते --** |
|  | 9. कायदा, नियम व पोटनियमाचे उल्लंघन | **-- ते --** |
|  | 10. स्वनिधी व भागाचे नक्त मुल्य | **-- ते --** |
|  | 11. रोख तरलता निधीचे प्रमाण | **-- ते --** |
|  | 12. वैधानिक तरलता निधीचे प्रमाण | **-- ते --** |
|  | 13. बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा | **-- ते --** |
|  | 14. कर्ज व ठेवीवरील व्याजदर | **-- ते --** |
|  | 15. कर्ज व ठेवीवरील व्याजाचा दुरावा | **-- ते --** |
|  | 16. कलम 79 अन्वये सादर केलेली विवरणपत्रे | **-- ते --** |
|  | 17. महत्वाची हिशोबी धोरणे | **-- ते --** |
|  | 18. संस्थेच्या नावे किंवा संस्थेच्या विरुध्द दाखल असलेली कायदेशीर प्रकरणे | **-- ते --** |
|  | 19. सभासद के. वाय. सी. पुर्ततेबाबत | **-- ते --** |
|  | 20. सोने मुल्याकंनकार करार | **-- ते --** |
|  | 21. पतसंस्था नियामक मंडळ कामकाज/उल्लंघनाच्या बाबी | **-- ते --** |
|  | 22. संस्थेच्या उपविधी दुरुस्तीबाबत. | **-- ते --** |
|  | 23. संस्था विमा | **-- ते --** |
|  | **ब) आर्थीक** **पत्रके** **विवेचन** | **37 ते 47** |
|  | 1.    ताळेबंद विवेचन | **-- ते --** |
|  | 2.    नफा तोटा पत्रक | **-- ते --** |
|  | क) आर्थिक प्रमाणके | **-- ते --** |
|  | **ड) संस्था** **ठेवी** **व** **कर्जे** **व्यवहार** | **48 ते 50** |
|  | अ)  ठेव व्यवहार | **-- ते --** |
|  | 1.    ठेवीची तुलनात्मक आकडेवारी | **-- ते --** |
|  | 2.    अल्प मुदत व दिर्घ मुदत ठेवी | **-- ते --** |
|  | 3.    कालनिहाय ठेव परीपक्कवता विगतवारी | **-- ते --** |
|  | 4.    ठेवीवर दिला जाणारा व्याजदर | **-- ते --** |
|  | 5.    नाममात्र सभासद ठेवी | **-- ते --** |
|  | 6.    दैनंदिनी ठेवीबाबत | **-- ते --** |
|  | **ब) कर्ज** **व्यवहार** | **51 ते 52** |
|  | 1.    कर्जाची तपासणी | **-- ते --** |
|  | 2.    वैयक्तिक व समुह महत्तम कर्ज मर्यादा | **-- ते --** |
|  | 3.    विनातरणी कर्ज मर्यादा | **-- ते --** |
|  | 4.    पत - ठेवी प्रमाण (सी डी रेशो) | **-- ते --** |
|  | 5.    दि. 31/03/2026 अखेर येणे कर्ज | **-- ते --** |
|  | 6.    कर्जाची कालनिहाय विगतवारी | **-- ते --** |
|  | 7.    तारणी विनातारणी कर्जे | **-- ते --** |
|  | **8.   थकबाकी** | **53 ते 57** |
|  | 1.    थकबाकी रक्कम | **-- ते --** |
|  | 2.    शाखनिहाय थकबाकी पुढीलप्रमाणे | **-- ते --** |
|  | 3.    कालनिहाय थकबाकी पुढीलप्रमाणे | **-- ते --** |
|  | 4.    प्रभावशाली थकबाकीदार (25 मोठे थकबाकी दार) | **-- ते --** |
|  | 5.    थकबाकीदारांवरील केलेली कारवाई | **-- ते --** |
|  | 6.    थकीत येणे व्याज | **-- ते --** |
|  | 7.    बुडीत कर्जे जमा खर्चोतुन काढुन टाकणे | **-- ते --** |
|  | 8.    एकरकमी कर्ज परतफेड योजना | **-- ते --** |
|  | 9.    अनुत्पादित जिदंगी | **-- ते --** |
|  | 10.  एन. पी. ए. प्रमाणे | **-- ते --** |
|  | 11.  संचालक व संचालक नातेवाईक कर्ज | **-- ते --** |
| 8 | **विभाग ‘‘क’’** | **58 ते 59** |
| 9 | लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र नमुना ‘‘एन - 2’’ | **-- ते --** |
| 10 | नियम 69 (6) नुसारची परिशिष्टे 1 ते 5 | **-- ते --** |
| 11 | लेखापरीक्षण वर्गवारी गुणपत्रक | **-- ते --** |
| 12 | प्रमाणित ताळेबंद व नफा – तोटा पत्रक (पदाधिकारी, वैधानिक लेखापरीक्षकाच्या सही शिक्कयासह) | **-- ते --** |
| 13 | बँक बाकी पत्रके व बँक ताळमेळ पत्रके | **-- ते --** |
| 14 | रोख शिल्लक प्रमाणपत्रे | **-- ते --** |
| 15 | शाखा व मुख्यालय जुळवणी पत्रक | **-- ते --** |
| 16 | जंगम मालमत्ता यादी | **-- ते --** |
| 17 | अचल मालमत्त यादी | **-- ते --** |
| 18 | वसुल भाग भांडवल यादी/सारांश पत्रक (Summery Report) | **-- ते --** |
| 19 | ठेव यादी / सारांश पत्रक (Summery Report) | **-- ते --** |
| 20 | कर्जे यादी/ सारांश पत्रक (Summery Report) | **-- ते --** |
| 21 | इतर देणी याद्या/ सारांश पत्रक (Summery Report) | **-- ते --** |
| 22 | इतर देणी याद्या/ सारांश पत्रक | **-- ते --** |
| 23 | संचालक, त्यांचे कुटुंबिय वा त्यांच्या कंपन्यांना वितरीत येणे/थकीत कर्जाची यादी. | **-- ते --** |
| 24 | संचालक ठेव यादी | **-- ते --** |
| 25 | संस्था कर्मचारी यादी | **-- ते --** |
| 26 | इतर आवश्यक कागदपत्रे | **-- ते --** |

**लेखापरीक्षण** **अहवालातील** **ठळक** **बाबींचा** **गोषवारा**

**(Executive Summary Report)**

**अ) प्राथमिक** **माहिती**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ.क्र. |  |  |
| 1 | संस्थेचे नांव व पत्ता | xyz. ss |
| 2 | नोंदणी क्र. | 11111 |
| 3 | कार्यक्षेत्र | ss |
| 4 | चालू लेखापरीक्षणाचा कालावधी | दि. 01/04/2024 ते 31/03/2025 |
| 5 | लेखापरीक्षकाचे नांव आणि नामतालिकेवरील नोंदणी क्रमांक | श्री. Swapnil, पॅनल क्र. 11111111 |
| 6 | लेखापरीक्षकाची नामतालिकेवरील वर्गवारी | “test” |
| 7 | लेखापरीक्षक नियुक्ती ठरावाने किंवा परंतुका आदेशाने आणि त्याबाबतचा तपशिल | होय |
| 8 | लेखापरीक्षण वर्गवारी | “ssss” |
| 9 | लेखापरीक्षण अहवाल सादर दिनांक | 29-03-2025 |
| 10 | विशेष अहवाल /विनिर्दिष्ट अहवाल सादर करणार आहात काय ? | आवशकता नाही |
| 11 | संस्थेचे अनिवार्य विवरणपत्र (Mandatory Returns) दाखल अपलोड केल्याचा दिनांक | अशी व्यवस्था नाही |
| 12 | मागील लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती सादर दिनांक, दोष दुरुस्ती मंजूरी सभा दिनांक/ठराव क्रमांक |  |

ब)  **संस्थेची** **सांपत्तिक** **स्थिती :-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र | तपशिल | मागील लेप वर्षे | चालू लेप वर्षे | वाढ/घट |
| **अ)** | **भांडवल** **देणी** |  |  |  |
| 1 | वसुल भागभांडवल | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| 2 | राखीव निधी | 0 | 0 | 0 |
| 3 | इतर सर्व निधी | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ठेवी | 0 | 0 | 0 |
| 5 | संचित /नफा | 0 | 0 | 0 |
| 6 | देणे कर्जे | 0 | 0 | 0 |
| 7 | तरतुदी | 0 | 0 | 0 |
| 8 | इतर देणी | 0 | 0 | 0 |
|  | **एकूण** | 20 | 50 | 30 |
| **ब)** | **जिदंगी** **येणी** |  |  |  |
| 1 | रोख/बँक शिल्लक | 0 | 0 | 0 |
| 2 | गुतंवणुक | 0 | 0 | 0 |
| 3 | जंगम मालमत्ता/शिल्लक साठा | 0 | 0 | 0 |
| 4 | येणे कर्ज | 0 | 0 | 0 |
| 5 | इतर येणी | 0 | 0 | 0 |
| 6 | घेणे व्याज | 0 | 0 | 0 |
| 7 | चालू तोटा | 0 | 0 | 0 |
|  | **एकूण** | 0 | 0 | 0 |

**क) लेखापरीक्षकाच्या निष्कर्षानुसार नमूद करावयाचे मुददे** :-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र | तपशिल | संस्थेचे आर्थिक पत्रकानुसार | लेखापरीक्षकाच्या निष्कर्षानुसार | फरक |
| 1 | स्वनिधी (नेटवर्थ) | 50 |  |  |
| 2 | भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CRAR) | 0 |  |  |
| 3 | कर्ज/ठेवी प्रमाण (CD Ratio) | 0 |  |  |
| 4 | थकीत कर्ज प्रमाण (%) |  |  |  |
| 5 | ढोबळ एन. पी. ए. (%) | 0 |  |  |
| 6 | निव्वळ एन. पी. ए. (%) | 0 |  |  |

ड) **संस्थेच्या** **कामकाजातील** **महत्वाच्या /गंभीर** **बांबीची** **माहिती**

1) गैरव्यवहार, अफरातफर, फसवणुक, बनावट कागदपत्रांद्वारे निर्देशनास आलेला अपहार :- (असल्यास) -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र | गुन्हयाचा संक्षिप्त तपशिल | गुन्हयाचा कालावधी | रक्कम रु. | जवाबदार व्यक्ती |
| 1 | नाहीत |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  | एकूण | रु. 0 |  |

         याबाबतचे सविस्तर तपशिल या अहवालाच्या भाग ‘‘अ’’ मध्ये नमुद केलेला आहे.

2) **संस्थेच्या** **झालेल्या** **आर्थिक** **नुकसानीबाबत :-**

सहकार कायदा/ नियम व संस्था मंजूर उपविधी तरतुदीचे उल्लंघन केल्याने लेखापरीक्षणात निर्देशनास आलेल्या आर्थीक नुकसाणीबाबतचा संक्षिप्त तपशिल खालील प्रमाणे

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ. क्र | आर्थीक नुकसान मुद्यांचा संक्षिप्त तपशिल | आर्थीक नुकसानीची रक्कम |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
|  | एकूण | 0 |

याबाबतचे सविस्तर तपशिल या अहवालाच्या भाग ‘‘अ’’ मध्ये नमुद केलेला आहे.

इ) **लेखापरीक्षकाच्या** **मते** **संस्था** **करत** **असलेल्या** **उल्लेखनीय** **व** **चांगल्या** **बाबी -**

**अहवालाचा** **सारांश**

* **संस्थेने** **केलेली** **उत्कृष्ट** **कामे-**

1. संस्थेचे मुख्य कार्यालयाची जागा स्वयमालकाची नाहीत.
2. संस्थेचे कर्मचारी व संचालक हे प्रशिक्षित आहेत.
3. संस्थेने दैनंदिनी तरलता व रोखता राखलेली .
4. संस्थेने नफ़यातुन 25% रकमेची तरतुद केली .
5. संस्थेने उत्तम जिंदगीपोटी 25 % रकमेची तरतुद केली .
6. वार्षीक सर्वसाधारण सभा तरतुदीनुसार घेतलेली .
7. संचालक मंडळाची सभा दरमहा घेतलेली .
8. अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था समाधानकारक .
9. रोख शिल्लक, कँश इन ट्रान्झीट, मालमत्ता इ. चा विमा उतरविला .
10. संस्थेने अंतर्गत लेखापरीक्षण करुन घेतले .
11. संस्थेची दायित्वे नियम 35 च्या मर्यादेत .

**ब. संस्थेने** **करावयाच्या** **आवश्यक** **व** **उपयुक्त** **बाबी -**

1. क्रियाशील व अक्रीयाशील सभासदांची यादी तयार करण्यात यावी.
2. संचालक मंडळाने वर्षअखेर डेडस्टॉक मालाची तपासणी करुन सुस्थितीत आहे किंवा नाही याबाबतचा दाखला देणे.
3. निधी निर्मीती व विनियोगाबाबत नियम तयार करुन त्यास वार्षीक सभेची मंजूरी घेणे.
4. उपविधीतील कर्ज विषयक नियम 16 अन्वये कर्ज विनियोग दाखले घेण्यात यावे.
5. संगणक प्रणालीचे सिस्टिीम ऑडीट करुन “ओ” नमुण्यात यावे.
6. संचालक मंडळात 2 तज्ञ संचालकांची नेमणुक करण्यात यावी.
7. कार्यक्षेत्रातील सभासदांशीच आर्थीक व्यवहार करावेत.
8. सीडी रेशोचे दक्षता प्रमाण राखण्यात यावे.
9. भाडेकरार, सोने मुल्याकंनावर करार नुतनीकरण करणे.
10. एनपीए प्रमाण कमी करण्यासाठी उचित कारवाई करण्यात यावी.

**क. संस्था** **करीत** **असलेले** **चुकीचे** **कामे** **व** **व्यवहार - (27.02.2018 चा** **शासन** **निर्णय** **पाहणे)**

1. कायदा कलम 70 नियम 54 व 55 अन्वये निधीच्या संपूर्ण रकमेची स्वतंत्र गुतंवणुक केलेली .
2. कार्यालयीन भाडेकरारनामे नोंदणीकृत केलेली .
3. गुतंवणुक करतांना उपविधीत नमुद केल्याप्रमाणे जिल्हा/राज्य सहकारी बँक वगळता अन्य मान्यताप्राप्त कोणत्याही एका ठिकाणी ती करावयाची असल्यास संस्थेच्या लगतच्या वर्षअखेरीस एकूण ठेवीच्या % पेक्षा जास्त असणार नाही. याप्रमाणे गुतंवणुक करावी.
4. वैयक्तिक व समुह महत्तम कर्ज मर्यादा उल्लंघन केलेले .
5. सीसी (कॅश के्रडीट) कर्ज खात्याचे परीक्षण करता नियमित व्यवहार होत नाहीत कर्जाची एकरकमी रोखीने उचल झालेली दिसुन येते. मंजूरीपेक्षा जादाची उचल विनातारणी अदा केली जाते.
6. काही बिगर सभासदांकडुन ठेवीच्या रकमा स्विकारल्या.
7. बिगर सभासदांना कर्ज वाटप केलेले.
8. नियमबाहयपणे बुडीत कर्जे जमाखर्चातुन काढुन टाकले.
9. मा. महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पूणे यांचे कडील व्याज दराबाबतच्या परीपत्रकीय सुचनांचे उल्लंघन करुन कर्ज व्याज दर आकारणी केली.
10. कर्जा वरील वसुल न झालेले व्याज उत्पन्नात घेतले जाते.

(वरील मुददेशिवाय लेखापरीक्षणाचे वेळी दिसुन आलेल्या उल्लेख करण्यात यावा.)

1. वरीलप्रमाणे सर्व माहिती माझ्या लेखापरीक्षणानुसार सत्य व बरोबर आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा नियम 69 मधील तरतुदीनुसार संस्थेचा लेखापरीक्षण अहवाल मी maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर देखील अपलोड केलेला आहे.

स्थळ :- bhanadara

दिनांक :-

**नमुना क्रमांक - १**

**लेखापरीक्षा अहवाल ( सर्व सहकारी संस्थासाठी )**

**विभाग – पहिला**

|  |  |
| --- | --- |
| संस्थेचे नाव : - | **xyz** |
| नोंदविलेला संपूर्ण पत्ता :- | **ss** |
| तालुका वा गट :- | **sss** |
| जिल्हा | **sss** |
| संस्था नोंदणी क्रंमाक | **11111** |
| संस्था नोंदणी दिनांक |  |
| संस्थेचे कार्यक्षेत्र | **ss** |
| संस्थेच्या शाखा, दुकाने, आगारे (डेपो ) यांची संख्या |  |
| लेखापरिक्षण वर्ग: |  |
| मागील तीन वर्षाचे लेखापरिक्षण वर्ग |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **1) लेखापरीक्षा विषयक माहीती :-** | |
| **1)** | लेखापरीक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नांव | **Swapnil** |
|  | पदनाम | **प्रमाणित लेखापरीक्षक** |
|  | मुख्यालय | bhanadara ता. जि. bhanadara. |
| **2)** | लेखापरीक्षणाचा कालावधी वर्ष | 01/04/2024 ते 31/03/2025 |
| **3)** | दिनांक |  |
| 1) | लेखापरीक्षा सुरु व चालु ठेवल्याचे दिनांक | 30-03-2025 |
| 2) | लेखापरीक्षा संपविल्याचा दिनांक |  |
| 3) | लेखापरीक्षा सादर केल्याचा दिनांक |  |
| **2)** | **सभासदत्व :-** | ते |
| 1)  अ)  1)  2)  3) | सभासदसंख्या   :-  व्यक्तीगत :-  सर्वसाधारण :-  नाममात्र       :-  राज्यसरकार :- |  |
| ब) | संख्या  एकुण   :- | 0 |
| **क )** | **अन्य ( अन्य सभा सदांची माहीती तपशीलवार द्यावी )** |  |
| 2) | नवे सभासद यथोचितरित्या करुन घेतले आहे काय संख्या त्यांनी प्रवेश शुल्क दिले आहेत काय? |  |
| 3) | त्यांचे लेखी अर्ज घेण्यात आलेले असुन ते योग्य रीतीने नियतक्रमात केले आहेत काय? |  |
| 4) | महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या 1961 च्या कानुनातील नियम 32 आणि 65(1) अन्वये ठरविलेल्या "आय" या नमुन्यात सभासदांची नोंद वही ठेवली आहे काय? |  |
| 5) | महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या 1961 च्या कानुनातील नियम 33 अन्वेय ठरविलेल्या "जे" या नमुन्यात सभासदांची  नोंदवही ठेवली आहे काय |  |
| 6) | मृत काढुन टाकलेल्या व राजीनामा दिलेल्या सभासदांच्या बाबतीत त्यांच्या नावा पुढे वरील प्रमाणे योग्य नोंद केली आहे काय? |  |
| 7) | राजीनामे रीतसर आहेत काय आणि ते यथोचितरित्या स्विकारले आहेत काय? |  |
| 8) | महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या 1961 च्या कानुनातील नियम 25 अन्वये वारस (नॉमीनी) नेमुन दिले आहेत कायआणि त्याची नोंद 26 व्या नियमा प्रमाणे सभासदांच्या नोंदवहीत यथोचितरित्या केली आहे काय? |  |
| **3) भाग :-** | | |
| 1) | भागाकरीता आलेले अर्जबरोबर आहेत काय? |  |
| 2) | भागाची नोंदवही अद्ययावत ठेवलेली आहेत काय? |  |
| 3) | भागांच्या नोंदवहीतील नोंदी किर्दीतील नोंदींशी जुळतात काय? |  |
| 4) | भागांची खतावणी अद्यायावत लिहली आहे काय? |  |
| 5) | भागांची एकुण खतावणी ताळेबंदातील भाग भांडवलाच्या आकडयांशी जुळते काय? |  |
| 6) | भागधारकांना त्यांनी घेतलेल्या सर्वभागाबद्यल भागपत्रे दिली आहेत काय? |  |
| 7) | भागांचे हस्तांतरण (ट्रान्सफर) अगरत्याची किंमत परत देणे या गोष्टी कायदा कानुन व पोटनियमयातील तरतुदी प्रमाणे झाल्या आहेत काय? |  |
| **4) बाहेरील कर्ज :-** | | |
| 1) | पोटनियमाप्रमाणे संस्थेने कर्ज घेण्याची मर्यादा काय ठरविली आहे |  |
| 2) | ती उल्लंघिली गेली आहे काय? |  |
| 3) | जर ती उल्लंघिली गेली असेल तर सक्षम प्राध्याधिकाऱ्या कडुन आवश्यक ती अनुज्ञा मिळावली आहे काय? |  |
| **5) सभा :-** | | |
|  | 1)  दिनांक द्यावेत-  अ) वार्षीक साधारण सभा  ब)  विशेष साधारण सभा |  |
| 2) | लेखापरीक्षा कालावधीत भरलेल्या सभांची खालील प्रमाणे संख्या द्यावी |  |
|  | अ) व्यवस्थापक कमेटिच्या वा संचालक मंडळांच्या सभा |  |
|  | ब)  कार्यकारी वा उपसमितीच्या सभा |  |
|  | क) अन्य |  |
| **6) दोष व दुरुस्ती अहवाल    :-** | | |
| 1) | संस्थेने गेल्या लेखापरीक्षा अहवाला चे दोष दुरुस्ती अहवाल पाठविलेला आहे काय असल्यास ते दिल्याचे दिनांक नसल्यास ,ते न दिल्या बद्दलची कारणे द्या. |  |
| 2) | मागील लेखापरीक्षा अहवालात नमुद केलेल्या काही महत्वाच्या मुद्यां कडे संस्थेने दुर्लक्ष केले आहे काय तसे असल्यास तर सर्वसाधारण अभिप्रायात ते नमुद करा. |  |
| **7) लेखापरीक्षा शुल्क** | | |
| 1) | शेवटच्या लेखापरीक्षकाची आकारणी रक्कम द्या.कोणत्या कालावधी करीता आहे तो लिहा. लेखापरीक्षा शुल्क वसुल झाल्याचा दिनांक, कोषागाराचे नांव आणि भरलेली रक्कम द्या.(कोषागाराच्या चलनाचा क्रमांक व दिनांक द्या). | :-रोखीने अदाकरण्यात आलेत.  ऑडीट फी दि. रोजी रू. |
| 2) | जर संस्थेने लेखापरीक्षा शुल्क भरली नसेल तर येणे असलेल्या परीक्षा शुल्काचा तपशील व न भरण्याची  कारणे द्या |  |
| **8) अंतर्गत वा स्थानीक लेखापरीक्षा :-** | | |
| 1) | जर अंतर्गत वा स्थानीक लेखापरीक्षा झाली असेल तर ती कोणी केली. कोणत्या कालावधीसाठी केली व त्याचा लेखापरीक्षा अहवाल संस्थेच्या दप्तरी आहे काय? याची माहीती द्या. |  |
| 2) | सैविधानीक (स्टॅटयुटरी) लेखापरीक्षा व अंतर्गत लेखापरीक्षा यांच्यात समन्वय आहे काय? |  |
| **9) कार्यकारी संचालक / व्यवस्थापक / चिटणीस :-** | | |
| 1) | अधिकाऱ्याचे नांव | **sss** |
| 2) | दरमहा घेतलेले वेतन   :- वेतन श्रेणी | रु. /- |
| 3) | त्यांना अन्य भत्ते सवलती उदा. विवनामुल्य निवास गृहे आदि उपलब्ध केले असल्यास त्या लिहा. | . |
| 4) | ते संस्थेचे सभासद आहेत काय ते लिहा | . |
| 5) | जर ते सभासद असतील तर त्यांनी कर्ज घेतले आहे काय ? किंवा त्यांना उधार- उचल, सवलती दिल्या आहेत काय त्यांचेकडील येणे रक्कमा द्यावत्यातील थकबाकी किती आहे ते लिहा. |  |
| 6) | अन्य कारण त्या रक्कमा त्यांच्या कडुन येणे असतील तर ते लिहा. |  |
| 7) | कर्मचाऱ्यासंबधी त्यांची नावे, पदनामे, शेक्षणिक पात्रता वेतनश्रेणी व सध्या चे वेतन,देण्यात येणारे भत्ते, नेमणुकीचे दिनांक, दिलेली जमानत आदि माहीती दाखविवणारी यादी मिळवा. |  |
| **10) उल्लंघन :-** | | |
| 1) | संस्थेजवळ आपले नोंदलेले पोटनियम, कायदा व कानुन यांची प्रत आहे काय? | . |
| 2) | कायदा कानुन व पोटनियमयांचे उल्लंघन झल्याच्या नोंदी द्या  1)  कायदा    65,70  2)  नियम 25,26,61,62,65,107 (क)  3)  पोटनिनयम 2,5,(12)19,51,(2),66चे |  |
| 3) | पोटनिनयमानुसार काही नियम तयार केले आहेत काय? योग्य त्या अधिकाऱ्या कडुन ते मान्य करुन घेतले आहेत काय? प्रतिपालन योग्य रीतीने होत आहे काय? (उल्लंघना संबंधी सर्वसाधारण अभिप्रायात थोडक्यात चर्चा करावी) |  |
| **11) उत्पन्न आणि खर्च :-** | | |
| 1) | गेल्या सहकारी वर्षात किती नफा वा तोट झाला. |  |
| 2) | निव्वळ नफ्याची विभागणी कशी केली ते लिहा. (निर्व्यवहारी) (नॉनबिझनेस) संस्थांच्या बाबतीत प्रश्नांक 11(2) च्या उततरास वाढ व खोटयांच्या रक्कमा लिहाव्यात. |  |
|  | **12) रोकड रकमा बँकेतील शिल्लका , आणि गुंतवणुकी ( सेक्युरीटीज ):-**  **( अ ) रोकड जमा :-** | |
| 1) | शिल्लक मोजा किर्दीवर शिल्लका मोजल्याचा दिनांक व रक्कम नमुद करुन सही करा. | दि. रोख शिल्लक रू |
| 2) | रोकड रक्कम कोणी मोजावयास सुरवात केली त्याचे नांव व पदनाम लिहा. रोकड रक्कम ठेवण्याबाबद त्यांना पुरेसा अधिकार आहे काय? | sss |
| 3) | किर्दी प्रमाणे रोकड रक्कम बरोबर आहे काय  ? |  |
| 4) | ने-आण करतांना आणि तिजोरीत ठेवलेल्या शिलकेच्या रकमेच्या सुरक्षितते बाबत केलेली व्यवस्था पुरेशी आहे काय ? |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **( ब ) बॅकेतील शिल्लका    :-** | | | |
| 1) | | बँकेतील पासपुस्तकातील त्यांनी पाठविलेल्या पत्रकातील बँकेने दिलेल्या दाखल्यातील शिल्लक रकमा संस्थेच्या जमा खर्चाच्या वाक्याशी जुळतात काय जर त्या जुळत नसतील तर ताळमेळ पत्रके तपासा. |  |
|  | | **( क ) गुंतवणुकी   :-** |  |
| 1) | | गुंतवणुक रोखे प्रत्यक्षात पहा आणि ते संस्थेच्या नावावरच आहेत काय ते पहा. |  |
| 2) | | गुंतवणुकी वरील लाभांश व व्याज यथावश वसुल करण्यात येत आहे काय ? | . |
| 3) | | जर गुंतवणुक रोक बँकेत ठेवले असतील तर त्याबाबत चे संबंधीत दाखले मिळविलेले आहेत काय? | . |
| 4) | | गुंतवणुकी ची नोंदवही ठेवली आहे काय ? | . |
| **13) स्थावर आणि जंगम मालमत्ता :-** | | | |
| 1) | संबंधीत नोंदवहया ठेवल्या आहेत काय? व त्या अद्ययावत लिहीली आहेत काय? | | . |
| 2) | मालमत्तेची यादी घेवुन प्रत्यक्ष रुजवातघ्या. ताळेबंदातील रकमेशीया वाक्या जमतात काय? | | . |
| 3) | जमीन आदिस्थावर मालमत्तेच्या बाबतत्याचे विलेख (दस्तऐवज) पहावते संस्थेच्या नावावरच आहेत काय हे पहा | | . |
| 4) | आवश्यक तेथे मालमत्तेचा अद्ययावत विमा उतरविला आहे काय? तसे असल्यास सर्वसाधारण अभिप्राय त्याचा तपशील द्या. | | . |
| 5) | झीज (घसारा):- | |  |
| 1) | घसारा यथावत आकारला आहे काय? | |  |
| 2) | वेगवेगळया मालमत्तेवर आकारलेले घसाऱ्या चे दर नमुद करा. | | . |
| **14)** | तुम्ही लेखापरीक्षा अहवालाच्या मुद्यासंबंधी संचालकमंडळ वा व्यवस्थापन समिती यांच्याशी चर्चा केली आहे काय? नसल्यास, त्याची कारणे लिहा. | | . |
|  |  | |  |

स्थळ :- bhanadara

दिनांक :-

**नमुना क्र . 8 ( अ )**

लेखापरीक्षा अहवाल (नागरी पत / ग्रामीण बिगरशेती पत सहकारी संस्था)

विभाग दुसरा

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ठेवी :-** | | | |
|  | 1 | संस्था सभासदांकडून ठेवी स्विकारण्याचे नियम तयार केले आहेत काय? चे काटेकोर पालन केले आहे काय? | |  |
|  | 2 | व्यक्तिगत खात्यावरील बाक्या सर्वसाधारण खतावणीतील एकंदर खात्यांच्या बाकीशी जुळतात काय? | |  |
|  | 3 | ठेवीपोटी कर्जाऊ रकमा देण्यात येतात तेव्हा पोट-नियम आणि या कारणासाठी तयार केलेले नियम यानुसार त्या काटेकोरपणे दिलेल्या आहेत काय? | |  |
|  | 4 | ठेव खात्यात दाखविलेल्या रकमांवरील व्याजाची आकारणी पडताळून पहा. जर या तपासण्या शेकडेवारी पध्दतीवर केल्या असतील तर त्यांचे शेकडा प्रमाण लिहा. | |  |
|  | 5 | अनुदेय नसतांनाही संस्थेने बिगर सभासदांकडून ठेवी स्विकारल्या आहेत काय? असल्यास अशा बिगर सभासद ठेवींची रक्कम व ठेवीदार संख्या नमुद करा? | |  |
| 2 |  | **चल संपत्ती आणि व्यापार :** | |  |
|  | 1 | उपविधीनुसार रोख राखीव प्रमाण व वैधानिक तरलता प्रमाण चल संपत्तीची(फ्ल्यूईड रिसोर्सेस ) तरतूद पुरेशी ठेवली आहे काय? | |  |
|  | 2 | अ | चल संपत्ती दैनंदिन वा साप्ताहिक पध्दतीवर ठेवली आहे ते लिहा. |  |
|  |  | ब | संस्थेची चल संपत्ती आणि सांपत्तिक स्थिती दर्शविणारी विवरणपत्रे योग्य त्या प्राधिका याकडे ठराविक दिनांकास पाठविली जातात काय? |  |
|  | 3 | लेखापरीक्षा  काळात भांडवलाच्या तरतुदीत काही कमतरता आढळल्या आहेत काय? असल्यास, सर्वसाधारण अभिप्रायात विचार व्यक्त करा. | |  |
|  | 4 | निबंधकांनी घालून दिलेल्या प्रमाणाशी विचार करता संस्था जादा व्यवहार (ओव्हर ट्रेडिंग) करते काय? असल्यास, जादा झालेल्या व्यवहारांची मर्यादा लिहा. | |  |
| **3** | **बाहेरील कर्ज :-** | | |  |
|  | 1 | जिल्हा सहकारी बँकेने वा इतर बँकांनी विविध कारणांच्या योजना खाली दिलेली कर्जे अथवा पतमर्यादा यांच्या रकमा काय आहेत? पुढील प्रमाणे माहिती लिहा. | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.   अ.क्र. | पत मर्यादेचा  प्रकार | कारण | मंजूर रक्कम | परतफेडीचा नियत दि. |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| उचलेली कमाल  रक्कम | केलेली परतफेड | येणे बाकी | थकबाकी |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | संस्थेने मिळविलेल्या विविध कर्जाचा आणि पतमर्यादांचा व्यवहार समधानकारक आहे काय? | |  |
|  | 3 | कर्जे वक्तशीरपणे परत केली जातात काय? | |  |
|  | 4 | कर्जासाठी घालून दिलेल्या विविध शर्तीचे काटेकोरपणे अनुपालन होत आहे काय? | |  |
| 4 | **निधी :-** | | |  |
|  | 1 | अधिनियम, नियम आणि संस्थेच्या उपविधी तरतुदी नुसार नफ्यातून निधी उभारले आहे काय? | |  |
|  | 2 | नियम -54 नुसार आवश्यक असल्या प्रमाणे राखीव निधीची संस्थेच्या व्यवसाया बाहेर स्वतंत्र गंतवणूक केली आहे काय? जर नसेल तर कारणे नमुद करा. | |  |
|  | 3 | अ | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची संस्था व्यवसायाबाहेर गंतवणूक केली आहे काय? |  |
|  |  | ब | कर्मचा-यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतून कर्ज रक्कमा दिल्या आहेत काय? |  |
|  |  | क | हया कारणास्तवच्या मान्य नियमांनुसार निधी व्यवहार केले आहेत काय? |  |
|  |  | ड | संस्थेच्या लेख्यांपासून स्वतंत्र भविष्य निर्वाह निधी लेखे जतन केले आहेत काय? |  |
|  | 4 | अ | धर्मदाय निधी मध्ये किती रक्कम जमा आहे? अधिनियमाच्या कलम 69 नुसार संघीय संस्थेच्या मान्यतेने हया निधिीतून धर्मदाय किंवा सहकार हेतूस्तव रक्कमा अदा केल्या आहेत काय? |  |
|  |  | ब | अधिनियम, नियम आणि संस्था उपविधी तरतुदींशी विसंगत अधिदाने केली आहेत काय? |  |
|  | 5 | नियम - 53 नुसार संस्थेने राज्य संघीय संस्थेची शिक्षण निधी वर्गणी अदा केली आहे काय? त्याकरीता चिन्हांकित व अदा केलेल्या रक्कमेचा तपशिल द्या | |  |
| 5 | **कर्जे आणि आगाऊ दिलेल्या कर्जाऊ रकमा :** | | |  |
|  | 1 | कर्जे आणि आगाऊ दिलेल्या कर्जाऊ रकमा यासाठी  सभासदां कडून आलेले अर्ज नियमानुसार आहेत काय? | |  |
|  | 2 | कर्जाच्या अर्जाची नोंदवही ठेवली असून ती अद्ययावत लिहिली आहे काय? | |  |
|  | 3 | पोट-नियमा नुसार,विविध प्रकारची कर्जे आणि पोटी द्यावयाच्या कर्जाऊ रकमा यासाठी व्यक्तिगत आणि एकुण काय मर्यादा ठरविल्या आहेत ? त्या मर्यादा पाळल्या जातात काय ? | |  |
|  | 4 | अ | सभासदांच्या परतफेडीच्या क्षमतेची योग्य चौकशी करुन त्यांची पत-पात्रता ठरविली आहे काय ? |  |
|  |  | ब | ठरवून दिलेल्या नमुन्यात पत-पात्रता आणि जामीन दायित्व नोंदवही (शुअर्टी लाययाबिलिटी रजिस्टर) ठेवली आहे काय ? |  |
|  | 5 | कायदा, कानून आणि पोटनियम यांतील तरतुदी नुसार कर्ज काटेकोरपणे दिली गेली आहेत काय ? | |  |
|  | 6 | संस्थेने मागणी, वसुली आणि बाकीची नोंदवही योग्य रीतीने ठेवली आहे काय ? | |  |
|  | 7 | योग्य चौकशी केल्यानंतर साधार कारणासाठी मुदतवाढी देण्यात येतात काय ? अशा मुदतवाढी साठी आवश्यक तेथे जमीनदारांच्या सम्मती पत्रासहित अर्ज मिळविले आहेत काय? | |  |
|  | 8 | अ | सभासदाकडील थकबाक्या वसूल करण्यासाठी काय कारवाई केली आहे ते लिहा. |  |
|  |  | ब | मागणी आणि येणे बाकी यांच्याशी थकबाकीचे शेकडा प्रमाण काय आहे ? |  |
|  | 9 | संस्थेने करुन घेतेलेले कर्जरोखे, वचनचिठ्ठया आणि अन्य कागदपत्र नियमानुसार आहेत काय? काही उणीवा असल्यास, नमुद करा. | |  |
|  | 10 | 1960 च्या महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या कायदयाच्या 49 व्या कलमा प्रमाणे सभासदांकडून त्यांच्या पगारातून व मजुरीतून करारपत्रात मंजुर केलेल्या रकमा संस्थेच्या नावाने कपात करण्याबद्दल नोकरी देणा-यास प्राधिकार देणारी करारपत्रे करुन घेतली आहेत काय ? | |  |
|  | 11 | परतफेडी वक्तशीर आहेत काय ? संस्थेच्या मागण्या पु-या करण्यासाठी नोकरी देणा-याने वेतन वा मजुरी यातून मासिक कपात नियमितपणे केल्या आहेत काय? | |  |
|  | 12 | अशी कपात केलेली रक्कम नोकरी देणा-याने संस्थेस वक्तशीरपणे दिली आहे काय ? न दिलेली एकुण रक्कम असल्यास लिहा. अशा रकमा कोणत्या दिनांका पासून थकित आहेत ते लिहा. | |  |
|  | 13 | पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड आणि नवीन कर्ज देणे यांत ठरवून दिलेले कालांतर यथावत पाळले जाते काय ? | |  |
|  | 14 | सभासदांना दिलेल्या पास-पुस्तकातील नोंदी वैयक्तिक खतावण्यातील नोंदीशी तपासून पहा. अशा तपासलेल्या पास-पुस्तकांची संख्या लिहा.. | |  |
|  | 15 | थकलेल्या व्याजाची रक्कम किती आहे ? जर ती हिशेबात घेतली असेल तर तिची यथावत तरतुद केली आहे काय ? | |  |
|  | 16 | संस्थेला येणे असेलेली कर्जे तपासा आणि त्यांचे बुडीत आणि संशयित असे वर्गीकरण झाले आहे काय ते पहा. अशा संशयित व बुडीत कर्जासाठी पुरेशी तरतूद केली आहे. काय ते तपासा. | |  |
|  | 17 | संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या वा संचालक मंडळाच्या सभासदांना आणि संस्थेच्या अधिका-यांना दिलेल्या आणि येणे असलेल्या कर्जाच्या रकमा लिहा. | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अनु.  क्र. | कोणाकडुन येणे आहे | कर्ज, पतमर्यादा, अतिकाळ (ओव्हर डाफटस) इत्यदीद्वारा दिलेल्या रकमा | | पैकी थकबाकी | |
| मुददल | व्याज | मुददल | व्याज |
| 1 |  |  | |  | |
| 2 |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| कोणत्या दिनांका  पासुन थकले ते दि. | त्यांचेवर जामीनदारीमुळे आलेले  दायीत्व | | पैकी थकबाकी | |
| मुददल | व्याज | मुददल | व्याज |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | **कालमानुसार थकबाकीचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करा** | |  |
|  |  | 1 | पाच वर्षावरील थकबाकी |  |
|  |  | 2 | तीन वर्षावरील थकबाकी |  |
|  |  | 3 | एक वर्षावरील थकबाकी |  |
|  |  | 4 | एक वर्षाच्या आतिल थकबाकी |  |
|  |  |  | एकूण | 0 |
|  | 19 | **तारणानुसार थकबाकीचे वर्गीकरण करा .** | |  |
|  |  | अ | जामीनदारांच्या हमीनुसार सुरक्षित आणि रुपये चांगली असलेली थकबाकी |  |
|  |  | ब | विमापत्रान्वये सुरक्षित आणि चांगली रुपये असलेली थकबाकी |  |
|  |  | क | अन्य तारणामुळे सुरक्षित आणि चांगली रुपये असलेली थकबाकी |  |
|  |  |  | **एकूण** | 0 |
|  |  | ड |  |  |
|  | 20 | निबंधकाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीकडे (नॉमिनीकडे) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या, संस्थेजवळ प्रलंबित असलेल्या आणि बजावणीसाठी पाठविलेल्या निवाडयांची (अॅवार्ड्स) संख्या त्यांच्या रकमेसह तपशील देऊन लवाद दाव्यातील प्रकरणात अडकून राहिलेली एकुण रक्कम द्या. | |  |
|  | 21 | विविध प्रकारच्या कर्जावर आकारण्यात येणा-या व्याजाचे दर नमुद करा. | |  |
|  | 22 | दंडाचे व्याज आकारले जाते काय? पोट-नियमात ठरवून दिले असल्यास दंडाच्या व्याजाचा दर लिहा. | |  |
|  | 23 | 1960 च्या महाराष्ट्र सहकारी संस्थांबाबत कायदयाच्या कलम 81(2) मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे येण असलेली कर्जे, थकलेल्या रकमा, कोणत्या दिनांका पासून थकल्या ते, त्या वसूल करण्यासाठी केलेली कारवाई इत्यादी दर्शविणारी थकबाकीची यादी मिळवा आणि तपासा. | |  |
| **6** |  | **गुंतवणुकी** | |  |
|  | 1 | कायदा, कानू व पोट-नियम यांतील तरतुदीनुसार गुंतवणुकी केल्या आहेत काय ? | |  |
|  | 2 | गुंतवणुकीच्या अवमूल्यनासाठी पुरेशी तरतूद केली आहे काय ? | |  |
|  | 3 | संस्थेच्या गुंतवणुकी दर्शविणारी नोंदवही अद्यावत ठेवली आहे काय? गुंतवणुक विभागावरील जबाबदार अधिका-याने तीवर सहया केल्या आहेत काय ? | |  |
|  | 4 | गुंतवणुक नोंदवही संस्थेजवळ असलेल्या रोख्यांशी तपासा. | |  |
|  | 5 | रोखे जर बँकेमध्ये ठेवले असतील तर बँकांची प्रमाणपत्रे (बँकर्स सर्टिफिकेटस) मिळविली आहेत काय ? | |  |
| **7** |  | **खर्च :** | |  |
|  | 1 |  | खर्चाची पत्रके संचालक मंडळ व व्यवस्थापन समिती यांच्या मंजुरीसाठी ठेवतात काय ? |  |
|  | 2 | अ | वार्षिक अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास संचालक मंडळ वा व्यवस्थापन समिती आणि साधारण सभा यांनी मंजुरी दिली आहे काय ? |  |
|  |  | ब | झालेला खर्च अंदाजपत्रकाच्या मर्यादेतच आहे काय ? नसल्यास साधारण सभेने पूर्व विनीयोगाला (रिॲप्रोप्रिएशन) मान्यता दिली आहे काय ? |  |
|  | 3 | संस्थेच्या व्यवहाराशी संबंध नसलेल्या खर्चाच्या प्रकरणांची सर्वसाधारण अभिप्रायात नोंद करा. | |  |
|  | 4 | संस्थेने  नगरांतर दुरध्वनी नोंदवही ठेवली आहे काय? खाजगी दुरध्वनीचा खर्च वसूल करण्यात येतो काय? | |  |
|  | 5 | खेळत्या भांडवलाशी आणि निव्वळ उत्पन्नाशी (मिळालेल्या व्याजातून दिलेले व्याज वजा जाता) व्यवस्थापनाच्या खर्चाचे शेकडा प्रमाण लिहा | |  |
| **8** | **अंतर्गत तपासणी :** | | |  |
|  | 1 | संस्थेतील अंतर्गत तपासणीची व्यवस्था समाधानकारक आहे काय? | |  |
|  | 2 | संस्थेने अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नेमणूक केली आहे काय? त्यांना दिलेल्या लेखापरीक्षा शुल्काची रक्कम आणि गेल्या लेखापरीक्षणाचा कालखंड लिहा. | |  |
| **9** | **व्यवस्थापन** | | |  |
|  |  | अधिलाभांशाच्या कायदयानुसार कर्मचारी वर्गाला द्यावयाच्या अधिलाभांशाची पुरेशी तरतूद संस्थेने केली आहे काय ? | |  |

स्थळ :- bhanadara

दिनांक :-

**xyz** **11111**

**लेखापरीक्षण** **कालावधी**

**दिनांक 01/04/2024** **ते 31/03/2025**

प्रास्ताविक

           xyz (यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 11111 दिनांक आहे. संस्थेच्या मुख्यालया व्यतिरिक्त 0sss शाखा आहेत. संस्थेच्या दिनांक 01/04/2024 ते 31/03/2025 या कालावधीच्या वैधानिक लेखापरीक्षणासाठी संस्थेने त्यांचे दिनांक रोजी पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक sss अन्वये अथवा निबंधक यांचे --- आदेशानुसार वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून आमची नियुक्ती केलेली आहे. संस्थेच्या उक्त कालावधीचे लेखापरीक्षण, संस्थेने पुरवलेल्या लेखी दस्तऐवज व तोंडी माहिती व खुलाशाच्या आधारे पूर्ण केलेले आहे. लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक असणारे सर्व रेकॉर्ड व माहिती संस्थेने लेखापरीक्षणावेळी आम्हास उपलब्ध करून दिलेले आहे. लेखापरीक्षण कालावधीत संस्थेचे चेअरमन म्हणून ss यांनी व व्हाईस चेअरमन म्हणून sss यांनी कामकाज केले आहे. तसेच संस्थेचे मॅनेजर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून sss यांनी कामकाज केलेले आहे.

**भाग** **अ**

(लेखापरीक्षण कालावधीत अपहार, गैरव्यवहार, निधीचा गैर विनियोग, आर्थिक अनियमितता इत्यादीच्या अनुषंगाने निदर्शनास आलेले गंभीर दोष खालील प्रमाणे)

अ) गैरव्यवहार, अफरातफर, फसवणुक, बनावट कागदपत्रांव्दारे निदर्शनास आलेला अपहार:

लेखापरीक्षणावेळी गैरव्यवहार/अपहार निदर्शनास आला असल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 81(5) ब मधील तरतुदीनुसार व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाने दि. 22/09/2021 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील सुचनेनुसार विनिर्दिष्ट अहवाल विहित मुदतीत सादर करावा.

भारतीय दंडविधान, 1860 (Indian Penal Code) मधील तरतुदीनुसार गैरव्यवहार /अपहाराबाबत खालील कलमे व गुन्हे प्रकार समाविष्ट आहेत.

1. चोरी (Theft) (378/381)- संस्थेच्या मालमत्तेच्या अभिरक्षणची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीने अप्रामाणिकपणे संस्था संपत्तीची चोरी करणे किंवा स्वत:साठी वापरणे -
2. अफरातफर (Criminal Misappropriation) (403) - अप्रामाणिकपणे संस्थेच्या मालमत्तेची संस्था मालकीच्या संपत्तीची चोरी करणे किंवा स्वत:साठी वापरणे-
3. विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) (405/408/409) - संस्थेचा विश्वासघात करुन संस्थेची संपत्ती लाटणे-
4. फसवणुक (Cheating / Fruad) (415/416/419/420) - संस्थेची फसवणुक करुन संस्था मालमत्ता हडपणे वा लपविणे वा   तोतयागिरीने फसवणुक करणे-
5. बनावट कागदपत्रे (Forgery) ( 424/425/463/464/467/468/470/ 471/ 470) - खोटी / बनावट कागदपत्रे खरी भासवुन संस्था रक्कमा हडप करणे-
6. गैरवापर (Misapplication) - स्वार्थासाठी, संस्थेच्या संपत्तीच्या प्राप्त अधिकारांचा गैरवापर करणे-
7. कट (34 / 120) (Criminal Conspiracy) - दोन पेक्षा अधिक समान हेतुने गुन्ह्यांत सामिल व संपत्ती हडप करतात-
8. अधिकाराचा गैरवापर - सांभाळण्यासाठी दिलेल्या संस्थेचा गैरवापर करणे-
9. गैरवर्तणुक (Misfisance) - दिशाभुल करुन चुकीचे बेकायदेशीर निर्णय घेऊन संस्था मालमत्ता हडपणे-
10. बनावट लेखांकन (Fasification of Accounts) - संस्था हिशोबाच्या नोंदवह्यांत खोट्या नोंदी घेऊन रक्कम हडप करणे व दिशाभुल करणे-

ब) **संस्थेचे** **झालेल्या** **आर्थिक** **नुकसानी बाबत** **:-**

उक्त नमुद केल्यानुसार संस्थेत लेखापरिक्षण कालावधीत गैरव्यवहार/ अपहार निदर्शनास आला असल्यास सदर रक्कमेची जबाबदारी निश्चित होऊन रक्कम वसुल होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 81(5ब) मधील तरतुदीनुसार विशेष अहवाल सादर करणे क्रमप्राप्त आहे.

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व त्याखालील नियमांमधील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षणामध्ये संस्थेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यास सदर रक्कमेची जबाबदारी निश्चित होऊन रक्कम वसुल होण्यासाठी विशेष अहवाल सादर करण्यात यावा. सर्वसाधारणपणे खालिल नमुद कलमांच्या व नियमांच्या उल्लंघनामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास येते.

1. कलम 64- संस्थेने लाभांश / अधिलाभांश (Bonus) वगळता उपविधी तरतुदी शिवाय अन्य प्रकारे निधी लाभ घेतला असल्यास, -
2. कलम 67 - संस्थेने निबंधकाच्या पुर्व मान्यते शिवाय कमाल 15 टक्के पेक्षा जास्त लाभांश दिला आसल्यास, -
3. कलम 69 - संस्थेने राखिव निधी वजा जाता उर्वरीत नफ्याच्या कमाल 20 टक्के पेक्षा जास्त नफा सहकार, धर्मदाय हेतुने वापरला असल्यास, -
4. कलम 71 ए -कलम 78, 78 ए किंवा 96 नुसार संस्था अधिक-याच्या व्यक्तीगत क्षमतेत दाखल दाव्यांचा खर्च संस्था निधीतुन केला असल्यास, -
5. नियम 49 - संस्थेने बुडीत कर्जे व तोटे बुडीत कर्ज निधी / राखिव निधी / भागभांडवलातुन निर्लेखन सर्वसाधारण सभा विषय पत्रिकेवर विषयासह पुर्व मंजुरी न घेता केले असल्यास, -
6. नियम 49 - संस्थेने बुडीत कर्जे / मत्ता लेखापरीक्षकाचे प्रमाणपत्र न घेता निर्लेखित केले असल्यास, -
7. नियम 49 - संस्था मध्यवर्ती बँक कर्जदार असल्यास बँक व क /टु लेखा परीक्षण वर्गवारी असुनही निबंधक यांची पुर्वानुमती न घेता संस्थेने बुडीत कर्जे / मत्ता निर्लेखित केली असल्यास, -
8. नियम 69 (6) नुसार अनुसुची (एक) :- सहकार कायदा, नियम व उपविधी उल्लंघन करुन केलेले खर्च केले असल्यास, -
9. नियम 69 (6) नुसार अनुसुची (तीन) :- समितीच्या गैरकामकाजामुळे बुडित व संशयित वाटणारी मालमत्ता वा कर्जे असल्यास, -
10. नियम 69 (6) नुसार अनुसुची (चार) :- संस्थेच्या खर्चात व संस्थेस येणे असलेल्या रक्कमांच्या वसुलीत आढळलेले अनोचित्य वा अनियमितता असल्यास, -
11. नियम 107 ए नुसार संस्थेने प्रवास दैनिक भत्ता व समिती सदस्य सभा शुल्क जादा अदा केले असल्यास, -
12. नियम 107 सी - कमाल रोख शिल्लक मर्यादा उल्लंघन केले असल्यास,
13. उपविधीतील कर्ज नियमानुसार संस्थेने मर्यादाबाह्य विनातारण/असुरक्षित कर्जे मंजुर करुन अदा केल्याने ती थकीत झाले असल्यास, -

**क)** **अन्य** **महत्वाच्या** **व** **गंभीर** **बाबी** **ज्या** **निबंधकाच्या** **निदर्शनास** **आणणे** **आवश्यक** **आहे.**

यामध्ये सर्वसाधारणपणे सहकार कायदा / नियम व मंजुर उपविधी तरतुदींचे संस्थेने उल्लंघन केल्याने संचालक मंडळातील सदस्य त्यांचे पदावर राहण्यास अनर्ह ठरत असल्यास तसेच खालीलप्रमाणे इतर उल्लंघन असल्यास तसा तपशील नमुद करावा. उदा.

1. कलम 65 - संस्थेने नियमा नुसार वार्षिक आर्थिक पत्रक तयार करुन निव्वळ नफा निश्चिती केली नाही. -
2. कलम 65- संस्थेने कायदा / नियम / उपविधी नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा मान्यतेने नफा विभाजन केले नाही. -
3. कलम 68- संस्थेने आर्थिक वर्ष समाप्ती पासुन ३ महिन्याच्या आंत राज्य संघीय संस्थेस शिक्षण निधी वर्गणी अदा केली नाही. -
4. कलम 71 ए, कलम 78, 78 ए किंवा 96 नुसार संस्था अधिका-याच्या व्यक्तीगत क्षमतेत दाखल दाव्यांचा खर्च संस्था निधीतुन केला. -
5. कलम 73 सीए - संस्था समिती वर कलम 73 सीए नुसार अपात्र समिती सदस्य असल्यास. -
6. कलम 73 सीबी - संस्था समिती निवडणुक पात्र / पदरिक्त. -
7. कलम 75- संस्थेने आर्थिक वर्ष समाप्तीपासुन ४ महिन्यांत लेखा परीक्षण केले नाही. -
8. कलम 75- संस्थेने आर्थिक वर्ष समाप्तीपासुन ६ महिन्यांत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली नाही. -
9. कलम 75 (2) व (2ए) -- संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नामतालिकेवरील पात्र लेखा परीक्षक नियुक्ती व त्याची लेखी संमत्तीचे विवरणपत्र दाखल केले नाही. -
10. कलम 75 (4) - संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लेखा परीक्षण अहवालासह लेखा परीक्षीत आर्थिक पत्रके सादर केले नाही. -
11. कलम 79 (1) - संस्थेने कलम 79 निर्देश आदेशात नमुद मुदतीत संस्था दप्तर लेखा परीक्षणास दिले नाही. -
12. कलम 79 (2) - संस्थेने आर्थिक वर्ष समाप्तीपासुन 6 महिन्यांत विहीत विवरणपत्रे निबंधकांस सादर केली नाही. -
13. कलम 81 (3) (ए) नुसार संस्थेचे लेखा परीक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक असलेले महत्वाचे काही दप्तर लेखा परीक्षकांना उपलब्ध करुन दिले नाही. -
14. नियम 23 च्या स्पष्टीकरणानुसार संस्थेचे अहवाल कालावधी अखेरचे नक्त मुल्य दर्शनी मुल्या पेक्षा कमी आहे. -
15. नियम 35 नुसार संस्थेने मर्यादाबाह्य कर्ज व ठेवी उभारणी केली आहे.
16. नियम 42 नुसार कर्जदार व जामिनदार संस्था सभासद नाही. तसेच सहकार नियम व उपविधी नुसार कर्ज वाटप मर्यादा, - अटी व शर्ती भंग केला आहे. -
17. नियम 45 नुसार एका पेक्षा जास्त पत संस्थेतुन कर्जे घेण्यास प्रतिबंध ( नमुना - के') असुनही संस्थेने अपात्र कर्जदारास कर्ज मंजुर व अदा केल्यास. -
18. नियम 46 नुसार कर्ज मंजुरी अटी भंग होऊनही १ हप्ता नोटीस देऊन समितीने कर्जदारा कडुन येणे सर्व कर्ज रक्कम एकरकमी परत मागितली नाही. -
19. नियम 49 ए नुसार संस्थेने व्याज देय, शुल्क, कार्यालयीन खर्च, वेतन व भत्ते, वीज, दुरध्वनी, भाडे, कर देयता, वर्गण्या, बुडित व संशयित कर्ज निधी, थकीत कर्ज व्याज निधी, गुंतवणुक चढ - उतार निधी, कर्मचारी निधी, भाग भांडवल विमोचन निधी, इ. तरतुदी परिपुर्ण करुन नफा निश्चिती केली नाही.
20. नियम 49 सी नुसार पत संस्थेने तरतुदी, रोख / वेधानिक तरलता प्रमाण, पत / ठेवी प्रमाण, इतर निकषांचे आदर्श प्रमाण पालन केले नाही. -
21. नियम 61 नुसार संस्थेने वार्षिक आर्थिक पत्रके ४५ दिवसांत तयार केली नाही. -
22. संस्थेने नियम 69 (4) (iv) नुसार लेखापरीक्षकाने संस्थेने शासनाने किंवा ICAI ने विहीत केलेल्या लेखांकन मानकानुसार" (Accounting Standards) लेखांकन केले नाही. -
23. नियम 69 (6) नुसार अनुसुची (दोन) प्रमाणे संस्थेने ज्या रक्कमा हिशोबात घेणे आवश्यक होते पण घेतल्या नाही. -
24. उपविधी क्र. 18 अ नुसार संस्था बिगर सभासदांकडुन ठेवी स्वीकारते व टी.डी.एस. वजावट करीत नाही. -
25. उपविधी क्र. 20 नुसार संस्थेने सर्व सभासदांचा मान्य फोटो व पत्ता पुरावा प्राप्त करुन के.वाय.सी. पुर्तता केली नाही. -
26. उपविधी क्र. 38 नुसार सचिव / व्यवस्थापक ह्यांनी सभेची वृत्तांते मुदतीत परिपुर्ण लिहुन त्यावर संस्था अध्यक्षांची सही घेतली नाही. -
27. उपविधी क्र. 49 नुसार संस्थेने तक्रार निवारण व तडजोड समिती स्थापन करणे आवश्यक असुनही केली नाही. -
28. उपविधी क्र. 53 नुसार संस्था कमाल कर्ज मर्यादांचे उल्लंघन करुन कर्जे मंजुर करते, कर्जदाराच्या वेतन चिठ्ठीत नमुद कर्ज कपाती नुसार योग्य नमुना के व ना हरकत पत्र' न घेता अयोग्य प्रकारे कर्जे मंजुर करते. -
29. उपविधी क्र.7 नुसार संस्थेने निबंधक मान्यतेने अधिकृत भागभांडवल वाढवुन न घेता जादा भागभांडवल उभारले आहे. -
30. उपविधी क्र. 45 (11) नुसार सतत संचालक मंडळ 3 सभा गेरहजर संचालकाचे संचालक" पद संपुष्टात आणण्याची कार्यवाही संस्थेने केली नाही.-
31. उपविधी क्र. 3 (24) व ई (39) नुसार संस्था संचालक मंडळाने तज्ञ व अनुभवी व्यक्तीची तज्ञ संचालक म्हणुन निवड केली नाही. -

स्थळ :- bhanadara

दिनांक :-

**भाग** **"ब"**

**अ** **व्यवस्थापन** **विभाग** **:-**

1) **संस्था** **नोंदणी** **क्रमांक** **व** **दिनांक** **:**

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 11111/ बीएचडी/बीएचडी/सीएसआर/11111 दिनांक 20-03-2025 असा आहे. संस्थेचे नोंदणी  प्रमाणपत्र दप्तरी आहे.

**2) संस्था** **कार्यक्षेत्र** **:- ss**

संस्थेचे उपविधिनुसार कार्यक्षेत्र ss तालुका पुरते मर्यादित आहे. (अहवाल कालावधीत कार्यक्षेत्रात बदल झाला असल्यास तसे निबंधक यांच्या आदेश क्रमांक व दिनांकासह नमूद करावे.)

    3) **संस्थेचे** **मुख्य** **कार्यालय** **व** **शाखा** **:- ss**

        संस्थेचे मुख्यालया व्यतिरिक्त sss शाखा आहे

     4) **संस्थेचे** **उददेश** **:**-

संस्थेच्या प्रमुख उददेशांत सभासदांमध्ये काटकसर, स्वावलंबन व सहकाराचा प्रसार करण्यास प्रोत्साहन देणे, भागभांडवल स्विकारणे, सभासदांना कर्ज देणे व त्यांची वसूली करणे, बाहेरील कर्ज काढणे किंवा निधि उभारणे, संस्थेच्या उपयोगासाठी मालकी हक्काने किंवा भाडयाने जागा किंवा इमारत खरेदी करणे, सभासदांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी विविध उपक्रम हाती घेणे. उपरोक्त सर्व किंवा एखादा उददेश साधण्यासाठी लागणारी अनुषंगीक सर्व कामे करणे. संस्थेने उपविधितील उददेशा व्यातिरिक्त तसेच कलम 144 मधील सुधारणा लक्षात घेता कामकाज केले. -

5) **सभासदत्व** **:-**

दि. 31/03/2024 (गतवर्ष) अखेर सभासद संख्या होती. लेखापरीक्षण मुदतीत नवीन सभासद झाले असून सभासदांनी राजीनामे दिले आहेत. दि. 31/03/2026 अखेर एकूण सभासद संख्या इतकी असून यादीप्रमाणे ती बरोबर . सभासद वाढीचे प्रमाण % आहे. सभासद "आय" व "जे" नमुना रजिस्टर संगणकीकृत ठेवलेले . आय नमुन्यात वारसदारांचा उल्लेख केलेला . उपविधित नमूद केलेल्या निकषांप्रमाणे क्रियाशिल व अक्रियाशिल सभासदांची स्वतंत्र यादी "जे -1 व जे-2" नमुन्यात केलेली . तशी यादी तयार करुन अक्रियाशील सभासदांना मुदतीत सुचित करण्यात आले . नवीन सभासदांचे अर्ज व राजीनामे अर्ज दप्तरी . सभासदांना भाग दाखल्याचे वाटप केले . तसेच त्याचे भाग रजिस्टर ठेवलेले . सर्व सभासदांची केवायसी पूर्तता केली . लेखापरीक्षण कालावधीत कार्यक्षेत्राबाहेरील व्यक्तिंना सभासद केलेले . इ. मुद्द्याना अनुसरुन अभिप्राय द्यावेत.

6) **सभा** **कामकाज**

1. **संचालक** **मंडळ** **सभा** **:-**

                  लेखापरीक्षण मुदतीत संचालक मंडळाच्या एकूण सभा झालेल्या आहेत. संस्थेच्या पोटनियम क्रमांक ------ नुसार संचालक मंडळाचे दरमहा एक सभा घेणे आवश्यक आहे. सदर सभांमध्ये नियमित कामकाज  घेण्यात आलेले

**अ) सर्वसाधारण** **दोष**

1. पोटनियमानूसार सभा घेण्यात आलेल्या .
2. मासिक खर्चास मंजूरी .
3. सभासद कर्ज अर्जाना मंजुरी .
4. नवीन सभासद अर्ज व राजीनामे अर्जास मंजूरी .
5. संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त पूर्ण केल्यानंतर संस्थेचे अध्यक्ष यांनी मंजूरीबाबत सहया केल्या .

(वर नमूद व्यतिरिक्त इतर काही मुददे / दोष असल्यास लेखापरीक्षकांनी ते नमूद करावेत.)

**ब) सभेचे** **इतिवृत्त** **तपासताना** **खालील** **दोष** **निदर्शनास** **आले. अ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | सभा दिनांक | विषय क्रमांक व ठराव क्रमांक | विषय | केलेल्या ठरावाचा संक्षिप्त तपशिल | केलेल्या ठरावास अनुसरुन आक्षेप |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

२**. उपसमिती** **सभा :-**

संस्थेने उपविधितील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे उपसमित्या गठण केलेल्या असून लेखापरीक्षण कालावधित खाली नमूद केल्याप्रमाणे सभा झालेल्या आहेत. (उपविधितील तरतुदीनुसार उपसमित्या स्थापन केलेल्या नसल्यास तसे नमूद करावे.)

1. कर्ज उपसमिती एकूण सभा -
2. गुंतवणूक उपसमिती एकूण सभा –
3. लेखापरीक्षण उपसमिती एकूण सभा -
4. अन्य

**सदर** **सभांचे** **इतिवृत्त** **तपासताना** **खालील** **दोष** **निदर्शनास** **आले.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | उपसमिती सभा दिनांक | विषय क्रमांक व ठराव क्रमांक | विषय | केलेल्या ठरावाचा संक्षिप्त तपशिल | केलेल्या ठरावास अनुसरुन आक्षेप |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

    सदर सभांचे इतिवृत्त संचालक मंडळाच्या सभेत कायम केलेले .

1. **वार्षिक** **सर्वसाधारण** **सभा :-**

           संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि. रोजी संस्थेचे कार्यालय या ठिकाणी पार पडलेली असून सदर सभेस सभासद उपस्थित होते.

**सभेचे** **इतिवृत्त** **तपासताना** **निदर्शनास** **आलेले** **सर्वसाधारण** **दोष** **पुढीलप्रमाणे** **:**

1. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटिस 14 दिवस अगोदर विहित मुदतीत काढण्यात आलेली .
2. सभेची नोटिस सभासदांना विहीत वेळेत प्राप्त झाली ?
3. महाराष्ट्र संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 75 (2)(7) व पोटनियम क्र. नुसार दोष दुरुस्ती अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठेवलेला .
4. पोटनियम क्र. ------------ नुसार व्यवस्थापन समितीने वार्षिक अंदाजपत्रक बनवून त्यास वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आलेली .
5. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कलम 75(2)(अ) अन्वये शासनाने मान्यता दिलेल्या नामिकेमधून कलम 81 व नियम 69 मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे किमान आर्हता व अनुभव असलेल्या पात्र लेखापरीक्षकांची किंवा लेखापरीक्षण करणा-या संस्थेची चालू वित्तीय संस्थेची नेमणूक .
6. काही धोरणात्मक निर्णय आयत्या वेळेच्या विषयात चर्चेला घेवून मंजूर करण्यात आले .
7. सभेचे कामकाज विषय पत्रिकेनुसार क्रमाने झाले .

     (वर नमूद व्यतिरिक्त इतर काही मुददे / दोष असल्यास लेखापरीक्षकांनी ते नमूद करावेत.)

**सभेचे** **इतिवृत्त** **तपासताना** **खालील** **दोष** **निदर्शनास** **आले.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र. | विषय क्रमांक व ठराव क्रमांक | विषय | केलेल्या ठरावाचा संक्षिप्त तपशिल | केलेल्या ठरावास अनुसरुन आक्षेप |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

              लेखापरिक्षण कालावधीत विशेष सर्वसाधारण सभा झाले असल्यास, सभा दि. रोजी बोलविण्यात आली होती. सदर सभेस सभासद उपस्थित होते. सदरची सभा या विषयावर बोलविण्यात आली होती. विशेष सभा ज्या विषयांकरीता बोलविण्यात आली होती त्या विषयांकरीता कामकाज करणे आवश्यक होते. मात्र सदर सभेमध्ये त्याव्यातिरिक्त खालील विषयांवरही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

7) **संस्थेचे** **संचालक** **मंडळ** **व** **निवडणूक** **कालावधी** :-

संस्थेचे संचालक मंडळ एकूण सदस्यांचे आहे. संस्थेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दि. रोजी निवडणुक अधीकारी याचा अध्यक्षते खाली पार पाडण्यात आले अध्यक्ष पदाकरिता व उपाध्यक्ष पदाकरिता व इतर संचालकाची निवड करण्यात आहले निवडुन आलेल्या संचालक मंडळाचा कालावधी पाच वर्षाचा आहे.

1. **अतंर्गत** **नियंत्रण :**

**1) सेवक** **कामकाज**

संस्थेत एकूण सेवक कार्यरत असून त्यामध्ये कायम व हंगामी आहेत. तसेच खालिल मुद्दांना अनुसरुन तपशील नमुद करावा.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ. क्र. |  |  |
| 1. | संस्थेने स्टाफींग पॅटर्न मंजूर करुन घेतल्याचा दिनांक व कर्मचारी संख्या :- |  |
| 2. | संस्थेचा प्रतिकर्मचारी व्यवसाय किती आहे व तो निकषा प्रमाणे आहे या बाबत तपशील विषद करा :- |  |
| 3. | नोकर भरती धोरण सुयोग्यरीत्या निश्चित केलेले आहे काय? तपासणी कालावधीत नोकर भरती झाली आहे काय ? व सदरची नोकर भरती विहीत प्रक्रीयेने केले बाबतचा अभिप्राय नोंदवा :- |  |
| 4. | कर्मचा-यांमध्ये कामाची विभागणी करुन कामकाज वाटप आदेश दिलेले आहेत काय ? :- |  |
| 5. | संचालक/कर्मचारी प्रशिक्षणाची व्यवस्था व वारंवारिता निर्धारीत करुन त्याचे पालन होत असलेबाबत तपशील विषद करावा. :- |  |
| 6. | कर्मचारी बदली धोरण रोटेशन पध्दतीचा विचार करुन तयार केलेले आहे काय? व त्याच्या यथायोग्य अंमलबजावणी बाबत तपशील नमूद करा. :- |  |
| 7. | प्रति कर्मचारी नफा क्षमता किती आहे. :- |  |
| 8. | कर्मचारी वेतन व त्यावरील खर्चाचे एकूण उत्पन्नाशी प्रमाण :- |  |

**2) शाखा** **अंतर्गत** **व्यवहार** :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ. क्र. |  |  |
| 1. | इतर शाखेशी होणारे जमा/नावे व्यवहारांची माहिती रोजच्या रोज मुख्यालयाच्या संबंधित विभागाकडे पाठविली जात असलेबाबत तपशील द्यावा. |  |
| 2. | मुख्यालयाच्या लेजरनुसार सदर बाक्या जुळतात काय? फरक असल्यास तपशील द्यावा. |  |
| 3. | मुख्यालयाच्या लेजरनुसार शाखा खात्यामध्ये नावे बाकी राहते काय? असल्यास तपशील विषद करा. |  |
| 4. | अंतर्गत शाखा व्यवहारामध्ये जुन्या पेडींग एंट्रीजबाबत तपशील द्यावा. |  |
| 5. | संस्थेच्या एकूण किती शाखा आहेत? शाखा व्यवहार नियंत्रण राखण्याच्या अनुषंगाने मुख्यालया मार्फत शाखांची नियमित तपासणी घेतलेचे अभिप्राय नोंदवा. |  |
| 6. | संस्थेच्या एकूण शाखापैंकी तोटयातील शाखांची संख्या किती आहे व अशा तोटयात राहण्याची कारणे नमूद करा. |  |

**3)** **विविध** **लेखापरीक्षण** **व** **अन्य** **तपासण्या**

1. **गत** **वर्षीचे** **वैधानिक** **लेखापरीक्षण** **व** **दोष** **दुरुस्ती :-**

सन 2023 ते 2024 गत वर्षीचे वैधानिक लेखापरीक्षण यांनी पुर्ण केले असून त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेस दि. रोजी सादर केलेला आहे. सदर कालावधीसाठी लेखापरीक्षण वर्ग दिलेला आहे.

सदर लेखापरीक्षण अहवालाचा दोष दुरुस्ती अहवाल संस्थेने दि. रोजी संबंधीत लेखापरीक्षकास सादर केलेला असून त्यांनी त्यांचे शेरे नमूद करुन दि. रोजी सदरचा दोष दुरुस्ती अहवाल निबंधकास सादर केलेला आहे. सदर दोष दुरुस्ती अहवाल मुदतीत सादर केलेला तसेच ज्या दोषांची पुर्तता झालेली नाही अशा दोषाचा तपशील खालीलप्रमाणे नमुद करावा.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | लेप अहवाल पान क्र. | मुददा क्र. | मुददांचा संक्षिप्त तपशिल | अभिप्राय |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. **अंतर्गत** **लेखापरीक्षण :- सदर कालावधीचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आलेले**

     दि. ते या कालावधीचे अंतर्गत लेखापरीक्षण यांनी केले असून त्यांनी त्यांचा अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल दि. रोजी संस्थेस सादर केलेला आहे. सदर लेखापरीक्षकास रु. मानधन अदा केले आहे. अहवालातील दोषांचे पुर्तता संस्थेने वेळीच केलेले आहे./ नाही. अभिप्राय द्यावेत.

**- सदर कालावधीचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आलेले**

1. **कर** **लेखापरीक्षण:- सदर कालावधीचे कर लेखापरीक्षण करण्यात आलेले**

     सन या कालावधीचे कर लेखापरीक्षण श्री./ यांनी केले आहे. त्यासाठी संस्थेने रु. मानधन अदा केले आहे.

**लेखापरीक्षण:- सदर कालावधीचे कर लेखापरीक्षण करण्यात आलेले**

1. **चाचणी** **लेखापरीक्षण** :- सदर कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात आलेले

      संस्थेचे सन या कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण ----- यांनी केले असून त्यांचा अहवाल दि. रोजी संस्थेस प्राप्त झाला आहे. अहवालातील पुर्तता न झालेले महत्वाचे दोष पुढीलप्रमाणे .   
**सदर कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात आलेले**

1. **कलम 89 (अ)(1) तपासणी :- सदर कालावधीचे 89 (अ)(1) तपासणी करण्यात आलेले**

         अशी तपासणी झाली असल्यास, संस्थेची ते या कालावधीची सहकार खात्याची कलम 89 (अ)(1) अन्वये हुददा यांनी तपासणी केलेली असून त्यांनी संस्थेस दि. रोजी अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालाचा दोष दुरुस्ती अहवाल मुदतीत/ मुदतीनंतर सादर केलेबाबत तसेच अहवालातील पुर्तता न झालेल्या दोषांबाबत अभिप्राय नमूद करावेत.

**सदर कालावधीचे 89 (अ)(1) तपासणी करण्यात आलेले**

1. **कलम 83/88** **चौकशी :- अहवाल वर्षात कलाम 83 / 88 चौकशीचे कोणतेच प्रकरण प्रलंबित**

**लेखापरीक्षण मुदतीत संस्थेची अधिनियमातील कलम 83/88 इ. चौकशी झाली असल्यास शेरे नमूद करावेत.**

**अहवाल वर्षात कलाम 83 / 88 चौकशीचे कोणतेच प्रकरण प्रलंबित**

**7) सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण :-**

**महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 24 अ (1) व पोटनियम क्र. नुसार राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करील अश्या प्रशिक्षण संस्थेमार्फत सभासद, संचालक सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या करीता सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण आयोजित करील. यानुसार संस्थेने आपले सभासद संचालक सदस्य, व अधिकारी व कर्मचारी यांना या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेमार्फत दिनांक ते दिनांक या दिवसांच्या कालावधीचे प्रशिक्षण घेतले किंवा कसे? तसेच संबंधित संस्थेचा प्रशिक्षण दाखला संस्था दप्तरी आहे काय?   
अहवाल वर्षात कोणत्यच प्रकारचे प्रशिक्षण संस्थेने आयोजित केलेले**

**8) संगणक प्रणाली व इडिपी ऑडीट :- अहवाल वर्शात संस्थेने इडीपी ऑडीट केल्याची नोंद**

1. **संस्था मुख्यालय व शाखा 1००% संगणकीकृत असलेबाबतचा तपशील विषद करा. -**
2. **संगणक डाटा सुरक्षितता आणि नियंत्रण योग्य राखणेसाठी घेतलेल्या दक्षतेबाबतचे अभिप्राय नोंदवा. -**
3. **संगणकीय खात्यांच्या माहितीचे वेळच्यावेळी बॅकअप घेतले जात असल्याचे अभिप्राय नोंदवा. -**
4. **संगणकीय प्रणालीचे ईडीपी/सिस्टीम ऑडीट नियमितपणे झालेबाबतचा कालावधी व अधिकृत फर्म यांचे नावासह तपशील नोंदवा.**

**अहवाल वर्शात संस्थेने इडीपी ऑडीट केल्याची नोंद**

**9) कायदा, नियम व पोटनियमाचे उल्लंघन :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र. | उल्लघन | कलम | नियम | पोटनियम |
| 1 | भागाचे दाखले देण्याबाबत | 22 | 19 | 20 |
| 2 | संचालक मंडळाचे अधिकार कार्य व जवाबदाऱ्या | 73 | 57, 58 | 43 (12) |
| 3 | कर्जव्यवहार परिशिष्ट “क” | 49 | - | 53 |
| 4 | गुतंवणुका | 70 | 54,55 | 59 |
| 5 | अंतर्गत हिशोब तपासणीची नियुक्ती | - | - | 43 (6) |
| 6 | सभासद, संचालक सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण | 24 अ (1) | 30 | - |
| 7 | विवरणपत्रे सादर करणे | 79 (1 अ, 1 ब) | - | - |
| 8 | गतवर्षीचा दोष दुरुस्तीचा अहवाल | 82 | 73 |  |
| 9 | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अशंदान | 79 |  |  |
| 10 | नफा विनिश्चित करणे व त्याचे संविभाजन करणे | 65 | 50,51 |  |
| 11 | निव्वळ नफा पूर्वी करावयाचे वजावटी |  | 49 अ |  |
| 12 | वीजबिल भरणा केंद्र बंद करावे. | 144-4 अ |  |  |

**10) स्वनिधी व भागाचे नक्त मुल्य :- संस्थेचा स्वनिधि खालील प्रमाणे आहे.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र. | तपशिल | गतवर्षी अखेर रु. | चालूवर्षी अखेर रु. |
| 1 | सभासद भांडवल | 20 | 50 |
| 6 | चालू वर्षाचा नफा (लाभांस रक्कम वगळून ) | 0 | 0 |
| 7 | वजा १ तोटे / संचित तोटे | 0 | 0 |
| 8 | कमी केलेल्या तरतुदी | 00 | 00 |
|  | एकूण स्वनिधी | 20 | 50 |

**दि. 31/03/ 2024 (गतवर्षी) अखेर स्वनिधि रु. 20 असून दि. 31/03/ 2025 (चालूवर्षी) अखेरचा स्वनिधि रु. 50 आहे. स्वनिधित गतवर्षीपैक्षा रु. 30 /- वाढ/घट झाली आहे. स्वनिधि वाढीचे प्रमाण 150 % आहे. स्वनिधिचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण 100 % आहे. स्वनिधिप्रमाणे सन 2024-2025 (पुढीलवर्षी) मध्ये कर्ज वाटपाचे धोरण निश्चित करावे.**

**संस्थेच्या एका भागाची दर्शनी किंमत रु. /- असून एकूण वसूल भागसंख्या आहे. स्वनिधिनुसार एका भागाची किंमत रु. आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्र. 23 अन्वये भाग रक्कम परत करतांना भागाचे मुल्यांकन किंवा भागाची दर्शनी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम परत केली/ कसे.**

**11) रोख तरलता निधिचे प्रमाण :-**

**महाराष्ट्र राज्य बिगरकृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ यांच्याकडील पत्र दि. 30/11/2019 अन्वये बिगर कृषी पतसंस्थेने ठेवावयाचे रोखता निधिचे प्रमाण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार संस्थेकडे असलेल्या मागील तिमाही अखेरच्या एकूण ठेवीच्या 1% पैक्षा कमी नसेल इतकी रक्कम लगतचे चालू तिमाहीसाठी दैनंदिन पध्दतीने रोख तरलता म्हणून ठेवावी लागेल असे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सदर निधिबाबत संस्थेने दैनंदिन पध्दतीवर आवश्यक त्या नोंदी ठेवावयाच्या असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या दररोज प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. वरील परीपत्रकीय सुचनेनुसार संस्थेने रोख तरलता ठेवली . त्यासंबंधीच्या आवश्यक त्या नोंदी ठेवल्या .**

**12) वैधानिक तरलता निधिचे प्रमाण :**

**संस्थेकडे असलेल्या मागील तिमाही अखेरच्या एकूण ठेवीच्या % पेक्षा कमी नसेल इतकी रक्कम लगतचे चालू तिमाहीसाठी दैनंदिन पध्दतीवर तरलता म्हणून ठेवावी लागेल असे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सदर निधिबाबत संस्थेने दैनंदिन पध्दतीवर आवश्यक त्या नोंदी ठेवावयाच्या असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या दररोज प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.**

**ज्या नागरी सहकारी बँकांना मागील सलग 3 वर्ष 'अ' लेखापरीक्षण वर्ग मिळाला आहे व ज्या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार आर्थिक दृष्टया सक्षम व उत्तम रितीने कामकाज करणा-या आहेत अशा बँकांमध्ये वैधानिक तरलता निधिची गुंतवणूक करता येईल.**

**वरील परीपत्रकीय सुचनेनुसार संस्थेने वैधानिक तरलता ठेवली . त्यासंबंधीच्या आवश्यक त्या नोंदी ठेवल्या .**

**(टिप- तरलतेपोटी केलेल्या गुंतवणूकीवर संस्थेने ठेवतारण कर्ज घेतले असल्यास अशी कर्जाची रक्कम तरलता निधीतून वजा करावी.)**

**3) बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा (नियम 35) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ. क्र. | तपशिल |  |
| 1 | भागभांडवल | 50.00 |
| 2 | राखीव निधी | 0 |
| 3 | इमारत निधी | 0 |
| 4 | वजा संचित तोटे | 0 |
| 5 | एकूण | 50 |
| 6 | 10 पट | 500 |

**दि. 31/03/2024 अखेर संस्थेची बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा रु. लाख असून रु. लाख इतकी ठेव/ बाहेरील कर्जे संस्थेने स्विकारलेली असून, सदर बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादेचे संस्थेने उल्लंघन केलेले किंवा कसे याबाबत अभिप्राय नमुद करावेत.**

**अहवाल वर्षात संस्थेने बाहेरील कर्ज घेतलेले .**

**14) कर्ज व ठेवीवरील व्याजदर :-**

**मा. महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषि सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पुणे यांचेकडील परीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ5/नियामक मंडळ / सन 2021/1535 दि. 03.08.2021 अन्वये पतसंस्थांनी त्यांचा ठेवीवरील कमाल व्याजदर % व तारण कर्जावरील कमाल व्याज दर % आणि विनातारणी कर्जावरील कमाल व्याज दर % राहील. त्याचप्रमाणे वर नमूद कमाल मर्यादेच्या अधिन राहून संस्थेने एएलआर व एबीआर विचारात घेवून ठेवीवरील व कर्जावरील व्याजदर ठरविण्यात आले .**

**(टिप - वर नमुद परिपत्रकामध्ये वेळोवेळी होणारे बदल विचारात घेऊन अभिप्राय नमुद करावेत.)**

**15) कर्ज व ठेवीवरील व्याजाचा दुरावा :-**

**मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडील परिपत्रक दि. 12/11/2008 अन्वये नागरी पतसंस्थांनी त्यांचे कर्जावरील व ठेवीवरील व्याजदर हे Average Landing Rate (ALR) व Average Borrawing Rate (ABR) विचारात घेऊन निश्चित केले आहे. त्यानुसार संस्थेस कर्जावर सरासरी % प्रमाणे व्याज प्राप्त झाले असून ठेवीवर सरासरी % प्रमाणे व्याज अदा केले आहे. त्यामुळे कर्ज व ठेवीवरील व्याज दरातील दुरावा % आहे. आदर्श प्रमाणक 3% पैक्षा दुरावा जादाचा .**

**16) कलम 79 अन्वये सादर करावयाची विवरणपत्रे :**

**संस्थेने दि. रोजी कलम 79 अन्वये 1 ते 6 विवरणपत्रे मुदतीत / मुदतीनंतर सादर केली .**

**17) महत्वाची हिशोबी धोरणे :-**

**संस्थेने आपले हिशोबी धोरणे तयार केलेली आहेत काय? अभिप्राय नमुद करावेत. दि इन्स्टिट्युट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया यांने घोषित केलेली लेखांकन मानके विचारात घेऊन संस्थेने आर्थिक पत्रके तयार केलेली आहेत काय? सदर मानांकने विचारात न घेतल्यामुळे त्याचा परिणाम संस्थेच्या आर्थिक पत्रकावर होत असल्यास खालीलप्रमाणे तपशील नमुद करावा.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| लेखाकंन क्रमांक | लेखाकंन मानांकाचे नांव | शेरा |
| एएस - 1 | जमा खर्चाचे धोरणाचे सादरीकरण | संस्थेने लेखाकंन मानकानुसार प्रतिवर्षी हिशोब पध्दत तयार करुन त्यास संचालक मंडळाची मान्यता घेतलेली आहे काय? |
| एएस - 2 | अखेर शिल्लक मालाचे मुल्यांकन | अखेर शिल्लक मालाचे मुल्यांकन सदर मानंकनाप्रमाणे केलेले आहे काय? |
| एएस - 3 | कॅश फ़्लो स्टेटमेंट | संस्थेने कॅश फ़्लो स्टेटमेंटतयार केलेले आहे काय? |
| एएस - 4 | आकस्मित व ताळेबंद तारखेनंतर घडलेल्या घटना | . |
| एएस - 5 | चालू काळातील निव्वळ नफा किंवा तोटा.मागील कालावधीतील रक्कम आणि लेखांकन धोरणातील बदल | याबाबतचा तपशील लेखापरिक्षक दाखल्यात मागील कालावधीतील रक्कम आणि दिलेला |
| एएस - 6 | घसारा/ झीज जमा खर्च | . |
| एएस - 7 | बांधकाम करारनामे | . |
| एएस - 9 | उत्पन्न मान्यता | एकच पध्दत कायम स्वरुपी अमंलात आणलेली आहे काय? |
| एएस - 10 | कायम मालमत्तेचे लेखांकन | संस्थेने आपल्या मालमत्तेच्या नोंदी खरेदी किमंत व सदर मालमत्ता ऊपयोगात आणण्यासाठी झालेला खर्च यांच्या बेरजेने केलेला आहे काय? |
| एएस - 11 | परकीय चलन दरामध्ये बदल झाल्यास होणारे परिणाम | . |
| एएस – 12 | शासकीय अनुदानाचे लेखांकन | . |
| एएस - 13 | गुंतवणूकी संबंधिचे लेखांकन | सदरच्या गुंणतवणुका कॉस्ट ऑफ़ अ‍ॅक्वीझेशन प्रमाणे केलेले आहे काय? |
| एएस - 14 | संस्थेचे एकत्रिकरण/विलिनिकरणाचे लेखांकन | . |
| एएस - 15 | सेवक लाभ | संस्थेने सेवकांच्या पगारातुन भविष्य निर्वाह निधीची कपात केलेली आहे काय? तितकेच योगदान संस्थेने केलेले आहे काय? |
| एएस - 16 | कर्ज खर्च | . |
| एएस - 17 | विभागवार खर्च | . |
| एएस - 18 | हित संबंधीत व्यवहार | . |
| एएस - 19 | भाडेतत्व करार | . |
| एएस - 20 | प्रती भाग उत्पन्न | संस्थेस प्रती भाग किती उत्पन्न मिळाले याबाबतची माहिती नमुद करावी. |
| एएस - 21 | एकत्रीत आर्थिक पत्रके | . |
| एएस - 22 | उत्पन्नावरील करांचे लेखांकन | संस्थेने सर्व करांची तरतुद केलेली आहे काय? त्याचा परिणाम आर्थिक पत्रकांवर होत आहे काय? |
| एएस - 23 | एकत्रित आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये सहयोगी संस्थांमधील गुंतवणूकिचे लेखांकन | . |
| एएस - 24 | बंद करण्यात येणारे उपक्रम | . |
| एएस - 25 | आर्थिक पत्रकांचा अंतरिम अहवाल | . |
| एएस - 26 | अमृत मालमत्ता | . |
| एएस - 27 | एकत्रितपणे हाती घेतलेल्या उपक्रमांचे लेखांकन | . |
| एएस - 28 | मालमत्तेच्या झालेल्या हानीचे लेखांकन | . |
| एएस - 29 | तरतुदी आकस्मित जबाबदा-या आणि आकस्मित संपत्ती | . |

**18) संस्थेच्या नावे किंवा संस्थेच्या विरुध्द दाखल असलेली कायदेशिर प्रकरणे :-   
संस्थेची लेखापरीक्षण मुदतीअखेर खालील कायदेशीर प्रकरणे सुरु आहेत.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र | तपशील | प्रकरणांचा क्र. | प्रकरणांचा संक्षिप्त | सद्यस्थिती |
| 1 | मा. सर्वाच्च न्यायालय |  |  |  |
| 2 | न्यायालय मा. उच्च न्यायालय |  |  |  |
| 3 | मा. जिल्हा सत्र न्यायालय |  |  |  |
| 4 | मा. सहकार न्यायालय |  |  |  |
| 5 | मा. मंत्री सहकार |  |  |  |
| 6 | मा. सहकार आयुक्त |  |  |  |
| 7 | मा. विभागीय सहनिबंधक |  |  |  |
| 8 | कलम 101 खालील लवाद दावे |  |  |  |
| 9 | अन्य |  |  |  |

**19) सभासद के. वाय. सी. पुर्ततेबाबत**

**संस्थेची दि. 31/03/2025 अखेर सभासद संख्या असुन, संस्थेने सभासदांच्या के.वाय.सी. ची संपुर्णपणे पुर्तता केलेली आहे. अद्यापही सभासदांची के.वाय.सी. पुर्तता केलेली नाही. के.वाय.सी. पुर्ततेचे प्रमाण % आहे.**

**20) सोने मुल्यांकनकार करार -**

**संस्थेने रु, 100 च्या स्टँप पेपरवर मे. या सराफी पेढीसोबत नोटराईज्ड/ साथा करार केलेला आहे. सदर कराराची मुदत दि. पर्यंत आहे. सदर सराफी पेढी अधिकृत व नोंदणीकृत .**

**21) पतसंस्था नियमक मंडळ कामकाज / उल्लंघनाच्या बाबी -**

**पतसंस्था नियामक मंडळाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली परिपत्रके व संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या झालेल्या ईतिवृत्ताची नोंद घेऊन उल्लंघन केलेल्या बाबींबाबत अभिप्राय नमुद करावेत.**

**22) संस्थेच्या उपविधी दुरुस्तीबाबत:-**

**लेखापरीक्षण कालावधीत संस्थेने उपविधीमध्ये केलेल्या दुरुस्तीबाबत व त्याची अंमलबजावणी संस्थेने .**

**23) विमा :- दि. रू**

**संस्थेने या इंश्युरन्स कंपनीकडे --------- मुख्य कार्यालय व शाखांसाठी स्वतंत्रपणे विमा उतरविलेला आहे. यामध्ये इमारत , संगणक, फर्निचर, फिटिंग, वाहन, रोख रक्कम, मार्गस्थ रक्कमेचा, सोने कर्जातील तारण जिन्नस, स्टेशनरी तसेच संस्थेने कर्जापोटी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा विमा, याव्यतिरिक्त सेवकांचा फॅडिलिटि व अपघात विम्याचा समावेश . विम्याचा कालावधी दि. ते अखेर आहे. याशिवाय कर्जदारांचा कर्जरक्कम संरक्षण विमा उतरविलेला .**

**विमाचे विवरण खलील प्रमाणे**

**ब आर्थिक पत्रके विवेचन :**

1. **ताळेबंद विवेचन :**

**संस्थेचे मुख्यालय व शाखा (असल्यास) यांचे एकत्रित ताळेबंदाचे विवेचन खालीलप्रमाणे -**

**अ. भांडवल व देणी बाजू : 50**

1. **भागभांडवल :- रु. 50.00 -/**

**संस्थेचे अधिकृत भागभांडवल रु. आहे. एका भागाची दर्शनी किंमत रु. आहे. दि. 31/03/ 2024 (गतवर्ष) अखेर संस्थेचे वसूल भागभांडवल रु. 20.00 होते. लेखापरिक्षण कालावधीत त्यामध्ये रु. 30.00 ने वाढ झालेली असुन दि. 31/03/ 2025 (चालूवर्ष) अखेर संस्थेचे वसूल भागभांडवल रु. 50.00 झालेले आहे. सदरचे वसूल भागभांडवल अधिकृत भागभांडवलापेक्षा .**

**लेखापरिक्षण कालावधीत रु. भागभांडवल परत केले असून त्याचे प्रमाण % आहे. अहवाल वर्षात भागभांडवल रु. 30 ने वाढलेले असुन, भागभांडवल वाढीचे प्रमाण 150 % आहे. भागभांडवल यादीची रक्कम ताळेबंदातील रक्कमेशी जुळती . फ़रक असल्यास त्यानुषंगाने शेरे नमुद करावेत.**

1. **राखीव व इतर निधी :- रु. - 0**

**दि.31/03/ 2025 अखेर संस्थेने खालीलप्रमाणे निधी उभारलेले आहेत. चालु व मागील आर्थिक वर्षातील तुलनात्मक आकडेवारी खालीलप्रमाणे –**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | निधी | गतवर्षे अखेर रु. | चालूवर्षे अखेर रु. | वाढ/घट |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 |

**सदर निधींच्या वाढ/घटीबाबत कारणमिमांसा नमुद करावी. तसेच लेखापरिक्षण कालवधीत काही निधींचा विनियोग झालेला असल्यास तो योग्य पध्द्तीने झालेला . याबाबतही अभिप्राय नमुद करावेत.**

**वरील सर्व निधींची कलम 70 व नियम 54, 55 प्रमाणे संस्थेने स्वतंत्रपणे गुंतवणूक केली . निधी विनियोगांची नियमावली तयार करण्यात आली .**

* **3. ठेवी :-रु 0**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर संस्थेने खालीलप्रमाणे ठेवी स्विकारलेल्या आहेत. चालु व मागील आर्थिक वर्षातील तुलनात्मक आकडेवारी खालीलप्रमाणे –**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | ठेवीचे प्रकार | गतवर्षे अखेर रु. | चालूवर्षे अखेर रु. | वाढ/घट |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 |

**लेखापरीक्षण मुदतीत एकूण ठेवीमध्ये रु. 0 लाख इतकी वाढ/घट झालेली आहे. वाढीचे प्रमाण 0 % आहे. लेखापरीक्षण मुदतीत ठेव व्याज दर % पर्यत आकारलेला आहे. संस्थेचे कामकाज संगणकीकृत असल्याने ठेव यादया संगणक प्रणालीव्दारे काढलेल्या . ताळेबंदाशी ठेव यादया जुळत .**

**तसेच संस्थेस प्राप्त झालेल्या ठेवींमध्ये संस्थांच्या ठेवींची विगतवारी स्वतंत्रपणे नमुद करावी.**

1. **4. देय व्याज तरतुदी :- रु. 0 --**

**यामध्ये खालील देय व्याजाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ.क्र | ठेव देय व्याज | रक्कम |
|  | एकूण | 0 |

**संस्थेचे कामकाज संगणकीकृत असल्याने देय व्याजाच्या तरतुदी संगणक प्रणालीद्वारे काढलेल्या . काही देय ठेव खात्यांची व्याजाची आकारणी तपासणी केली असता त्यामध्ये फरक दिसुन आला . ----या ठेवीच्या व्याजाच्या तरतुदी केल्या प्रमाणात केल्या आहेत. त्याचा परिणाम नफा/तोटयावर रु-------झाला .**

1. **इतर देणे :- रु. 0**

**दि.31/03/ 2025 अखेर देणे असलेल्या रक्कमामध्ये खालील देय रक्कमाचा समावेश आहे.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | देणे रकमाचा तपशिल | लेजर प्रमाणे बाकी | यादीप्रमाणे बाकी | फरक |
|  | एकूण | 0 |  |  |

**संस्थेने विविध खर्चासाठी वरिल प्रमाणे तरतुद केलेले आहे. प्रत्याक्षात संभासदानां लाभांष देय नसल्यास ती रक्कम राखीव निधीला स्थांलातरित करून बाकी निरंक करण्यात यावे. संस्पेन्स खात्याचे शाहनिषा करून बाकी निरंक करण्यात यावे इतर देणे देउन बाकी निरंक करावे. फरक असल्यास याबाबत अभिप्राय नमुद करावेत.**

1. **शाखा येणे देणे -: रु.-------**

**शाखा येणे देणे रक्कमांमध्ये फरक असल्यास या फ़रकाबाबत सखोल तपासणी करुन अभिप्राय नमुद करावेत.**

1. **देय कर्ज -: रु. 0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्रं | देणे रक्कम तपसील | गतवर्षे अखेर रू. | चालु वर्षे अखेर रू. | फरक |
|  |  | 0 | 0 |  |

**पुरविण्यात आलेले बँक स्टेटमेंट चे ताळेबंदाशी मेळ जुळते -**

1. **संचीत नफा:- रु. 0  
   सदर बाकी दि.31/03/2025 अखेर ताळेबंदा प्रमाणे असुन मागील वर्षाचा संचीत नफा/तोटा रू 0 अधिक/वजा चालु वर्षाचा नफा/तोटा रू 0 एकुण संचीत नफा रू 0 बरोबर आहे. आवष्यक तरतुद न केल्यामुळे संचीत नफा प्रमाणीत करता येत नाही.  
   नफा वाटणी कायदा कलम 65 व पोटनियम 73 मधील तरतुदी प्रमाणे करण्यात यावे.**

**ब) मालमत्ता व येणे बाजु :- 0**

1. **रोख शिल्लक :- रु. 0**

**शाखासह एकुण रोख शिल्लक रु. 0 आहे. दैनंदिन पध्दतीने रोखता तरलता रजिस्टर ठेवलेले . रोखता उपविधीतील नियमानुसार मर्यादेत ठेवली . ज्यादाची रोखतेचा परिणाम संस्थेच्या उत्पन्नावर होत आहे. लेखापरीक्षणाचेवेळी दि. रोजी अखेर/आरंभीची रोख शिल्लक रु. - मोजली असुन ती रोजकिर्दीप्रमाणे बरोबर . रोख शिल्लक विम्याच्या प्रमाणात . रोख शिल्लकेच्या सुरक्षितेसाठी तिजोरी, लॉकर यांची व्यवस्था . रोख शिल्लक रक्कम जवळ बाळगणेबाबत रोखपालास अधिकार दिलेबाबतचा तपशील विषद करा. रोखपालाकडून जामीनकीचे बाँड व सुरक्षा ठेव रक्कम घेतलेबाबतचा तपशील नमूद करा. रोखपालाकडून जामीनकीचे बॉन्ड व सुरक्षा ठेव रक्कम घेतलेल्या .**

**तपासणी मुदती रोख शिल्लकेचे उल्लंघन झाले असल्यास खालीलप्रमाणे तपशील नमुद करावा.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र | दिनांक | पोटनियम प्रमाणे शिल्लक मंजूर मर्यादा | प्रत्यक्ष हातावरील रोख शिल्लक रु. | मर्यादापेक्षा जास्त शिल्लक रु. |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

1. **बँक शिल्लक :- रु 0**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर खालीलप्रमाणे बँक शिल्लक आहे.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र | बँकेचे नांव | ताळेबंदाप्रमाणे रक्कम | बँक दाखल्याप्रमाणे रक्कम | फरक | शेरा |
|  | एकूण | 0 | 0 |  |  |

**(टिप - अवसायनातील बँकांमध्ये बचत / चालू ठेव खाते असल्यास त्याबाबत स्वतंत्र अभिप्राय नमुद करावेत.)**

**ताळमेळपत्रकानुसार ज्या रक्कमा तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालवधीसाठी प्रलंबीत आहेत त्याबाबतचा तपशील नमूद करावा. बँक खात्यावर अनावश्यक जादा रक्कमा पडून असल्यास त्याबाबतचा तपशील नमूद करावा.**

**3.गुंतवणूक :- रु. 0**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर संस्थेने खालीलप्रमाणे गुंतवणुक केलेली आहे.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र | गुतंवणुक तपशील | दि. 31/03/ 2024 | दि. 31/03/ 2025 | वाढ/घट | वाढ/घट प्रमाण (%) |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 |  |

1. **संस्थेने सादर केलेल्या यादीनुसार गुंतवणूक रक्कम जुळत . -**
2. **गुंतवणूकीचे दाखले/ठेव पावत्या तपासले . -**
3. **राखीव निधी, इमारत निधी व इतर कायदेशीर निधींची स्वतंत्र गुंतवणूक केले . -**
4. **निधीचे व्यवस्थापन योग्यरित्या केले . -**
5. **तरलतेपोटी केलेली गुंतवणूक किती आहे? ती नियमानुसार असलेबाबतचा तपशील नमुद करावा. -**
6. **गुंतवणूक चढउतार निधीसाठी पुरेशा प्रमाणात केले. -**
7. **अ वर्गातील नागरी सहकारी बँका/राष्ट्रीयकृत बँका वगळता अन्य ठिकाणी गुंतवणूक केली असल्यास त्याबाबतचा तपशील नमूद करावा.**
8. **गुंतवणूकीचे खेळत्या भांडवलाशी असलेले प्रमाण नमूद करावे.**

**(टिप - अवसायनातील बँकां/संस्थांमध्ये गुंतवणूक असल्यास त्याबाबत स्वतंत्र अभिप्राय नमुद   करावेत.)**

1. **कर्ज :- रु. 0**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर संस्थेस खालीलप्रमाणे कर्ज येणे आहे.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | कर्ज प्रकार | गतवर्षा अखेर रु. | चालू वर्षा अखेर रु. | वाढ/घट |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 |

**कर्जाची तुलनात्मक आकडेवारी पाहता अहवाल सालात कर्जात रु. 0-वाढ झाली आहे. लेखापरीक्षण कालावधीत कर्जाचा व्याजदर % आकारला आहे. सेवक कर्जास % व्याज आकारणी केली आहे. संस्थेचे कामकाज संगणकीकृत असल्याने कर्जे यादया संगणक प्रणालीद्वारे काढलेल्या . ताळेबंदाशी कर्जे यादया जुळत याबाबत अभिप्राय नमुद करावेत. कर्जाबाबतचा सविस्तर तपशील स्वतंत्रपणे नमुद केलेला आहे. कृपया अवलोकन व्हावे.**

1. **शाखा येणे देणे :-**

**शाखा येणे देणे रक्कमांमध्ये फरक असल्यास या फरकाबाबत सखोल तपासणी करुन अभिप्राय नमुद करावेत.**

1. **स्थावर व जंगम मालमत्ता: 0**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर संस्थेची मालमत्ता खालीलप्रमाणे आहे.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | मालमत्तेचा तपशिन | दि.31/03/ 2024 अखेर रक्कम रु. | दि.31/03/ 2025 अखेर रक्कम रु. | वाढ/घट रक्क्म रु. |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 |

1. **संस्थेने मालमत्तेवर नियमाप्रमाणे घसारा आकारणी केलेली आहे काय? -**
2. **संस्थेने अद्यावत मालमत्ता रजिस्टर ठेवलेले आहे काय? -**
3. **लेखापरीक्षण कालावधीत रु. मालमत्ताची खरेदी व रु. मालमत्तेची विक्री विहित कार्यपध्दती अवलंबून झाली .**
4. **सदर विक्रीतुन संस्थेस नफा/तोटा झाला असल्यास त्यांचा जमाखर्च लेखे मानांकनाप्रमाणे केलेला .**
5. **इतर येणे :- 0 रुपये**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर संस्थेस खालीलप्रमाणे इतर रक्कमा येणे आहेत.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | **तपशिल** | ताळेबंदाप्रमाणे रक्कम | यादीप्रमाणे रक्कम | फरक |
|  | एकूण | 0 |  |  |

1. **घेणे व्याज :- 0 रुपये**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर संस्थेस खालीलप्रमाणे इतर रक्कमा येणे आहेत.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | **तपशिल** | ताळेबंदाप्रमाणे रक्कम | यादीप्रमाणे रक्कम | फरक |
|  | एकूण | 0 |  |  |

**(टिप- संस्था विलिनीकरण केली असल्यास विलिनिकृत संस्थांची येणे रक्कम स्वतंत्र दर्शविण्यात यावी)**

1. **संचीत तोटा:- रु. 0  
   सदर बाकी दि.31/03/2025 अखेर ताळेबंदा प्रमाणे असुन मागील वर्षाचा संचीत नफा/तोटा रू 0 अधिक/वजा चालु वर्षाचा नफा/तोटा रू 0 एकुण संचीत तोटा रू 0 बरोबर आहे. आवष्यक तरतुद न केल्यामुळे संचीत तोटा प्रमाणीत करता येत नाही.  
   नफा वाटणी कायदा कलम 65 व पोटनियम 73 मधील तरतुदी प्रमाणे करण्यात यावे.**
2. **नफा-तोटा पत्रक :**

**संस्थे सन दि. 01/04/ 2024 ते 31/03/ 2025 या आर्थिक वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक विवेचन खालीलप्रमाणे –**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र. | **तपशिल** | गत वर्ष अखेर रु. | चालु वर्ष अखेर रु. | वाढ/घट |
| अ | **उत्पन्न** | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **कर्जावर** **मिळालेले** **व्याज** | 0 | 0 | 0 |
| 2 | गुंतवणूकीवर मिळालेले व्याज अ) ठेविवरील व्याज ब)शासकीय कर्ज रोख्यावरील व्याज | 0 | 0 | 0 |
| 3 | इतर उत्पन्न | 0 | 0 | 0 |
|  | **एकूण** **उत्पन्न** | 0 | 0 | 0 |
| ब | **खर्च** | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ठेवीवरील व्याज | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आस्थापना खर्च | 0 | 0 | 0 |
| 3 | प्रशासकिय खर्च | 0 | 0 | 0 |
| 4 | तुरतुदी | 0 | 0 | 0 |
| 5 | इतर खर्च | 0 | 0 | 0 |
|  | एकूण खर्च | 0 | 0 | 0 |
|  | **निव्वळ** **नफा** | 0 | 0 | 0 |
|  | **निव्वळ** **तोटा** | 0 | 0 | 0 |

**लेखापरीक्षण मुदतीत उत्पन्नात रु 0 वाढ /घट झाली आहे. एकुण खर्चात रु. 0 वाढ/घट झाली आहे. निव्वळ नफा रु. 0 वाढ/घट झाली आहे. निव्वळ तोटा रु. 0 वाढ/घट झाली आहे. अहवाल कालावधीत निव्वळ नफ़्यापुर्वी खर्चाच्या तरतुदी केल्या आहेत.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | शाखेचे नांव | उत्पन्न | खर्च | नफा/तोटा |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

**ज्या शाखा सातत्याने तोट्यात आहेत त्याबाबत स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नमुद करावेत.**

**संस्थेने दर्शवलेला नफा/तोटा खालील कारणामुळे रास्त व योग्य स्थिती दर्शवत नसल्यास अभिप्राय द्यावेत.   
उदा.**

1. **खर्चाच्या रु. तरतुद कमी/जास्त केल्या आहेत.**
2. **एनपीएची तरतुद रु. कमी/जास्त केली आहे.**
3. **भांडवली खर्च रु. महसुल खर्चात नोंद केला आहे.**
4. **महसुल खर्च रु. भांडवली खर्चात नोंद केला आहे.**
5. **गतवर्षीचा रु. खर्च/उत्पन्न अहवाल वर्षात जमाखर्ची केला आहे.**
6. **गुंतवणूकीवरील येणे व्याज रु. उत्पन्नात घेतले नाही.**
7. **कर्जावरील वसूल न झालेले व्याज रु. उत्पन्नात घेतले आहे.**
8. **ठेवीवरील देय व्याज रु. खर्चात घेतले नाही.**

**याशिवाय खालीलप्रमाणे अभिप्राय नमुद करावेत.**

1. **संस्थेस सर्व कायदेशीर तरतुदी करण्या इतपत रक्कमेचा ढोबळ नफा झालेबाबतचे अभिप्राय नोंदवा. -**
2. **मागील आर्थिक वर्षातील निव्वळ नफयाची कलम ६५ नियम ४९ नुसार पोटनियमाप्रमाणे विविध निधीमध्ये विभागणी करुन लाभांश देण्या इतपत निव्वळ नफा झालेबाबतचा तपशील विषद करा. -**
3. **संस्थेने लाभांश जर निव्वळ नफ्याच्या १५% पेक्षा जास्त दिलेला असल्यास, त्यास निबंधकाची परवानगी घेतले किंवा कसे याबाबत शेरे नमूद करा. -**
4. **चुकीचा नफा दर्शवून अतिरिक्त लाभांश वाटप केलेबाबतचे अभिप्राय द्या. -**
5. **संस्थेस तोटा झालेला आहे काय? असल्यास तोट्यांची कारणमिमांसा नमुद करा. -**
6. **संस्थेने सभासदांना निबंधकाच्या परवानगीशिवाय भेट वस्तु दिल्यास त्याबाबत अभिप्राय नमूद करावेत. -**

**क आर्थिक प्रमाणके:**

**खालील आर्थिक प्रमाणकांबाबत तपशिलवार अभिप्राय नमूद करावेत.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ. क्र. | **तपशिल** | गणना सुत्र | आदर्श प्रमाण% | प्रत्यक्ष प्रमाण |
| **अ** | **खेळत्या** **भागभांडवलाशी** **प्रमाण** | |  |  |
|  | 1. वसुल भागभांडवल | वसुल भाग भांडवल ÷ खेळते भांडवल x 100 | 2 ते 4 | 100 |
|  | 2. निधी | एकूण निधी ÷ खेळते भांडवल x 100 | 4 ते 6 | 0 |
|  | 3. ठेवी | एकूण ठेवी ÷ खेळते भांडवल x 100 | 80 ते 85 | 0.00 |
|  | 4. इतर देणी | इतर देणी ÷ खेळते भांडवल x 100 | 2 ते 3 | 0 |
|  | 5. निव्वळ नफा | निव्वळ नफा ÷ खेळते भांडवल x 100 | 1 ते 2 | 0 |
|  | 6. रोख व बँकेतील शिल्लक | रोख बँकेतील शिल्लक ÷ खेळते भांडवल x 100 | 4 ते 6 | 0 |
|  | 7. गुतंवणुक | गुतंवणुक ÷ खेळते भांडवल x 100 | 25 | 0 |
|  | 8. कर्जे | एकूण कर्जे ÷ खेळते भांडवल x 100 | 60 ते 65 | 0 |
|  | 9. इतर येणी | इतर येणी ÷ खेळते भांडवल x 100 | 6 | 0 |
|  | 10. एकूण उत्पन्न | एकूण उत्पन्न ÷ खेळते भांडवल x 100 | 11 | 0 |
|  | 11. व्यवस्थापन खर्च | व्यवस्थापन खर्च ÷ खेळते भांडवल x 100 | 2 | 0 |
| **ब** | **एकूण** **उत्पन्नाशी** **प्रमाण** |  |  |  |
|  | 1. निव्वळ नफयाचे | निव्वळ नफा ÷ एकूण उत्पन्न x 100 | 10 | 0 |
|  | 2. व्यवस्थापन खर्चाचे | व्यवस्थापन खर्च ÷ एकूण उत्पन्न x 100 | 30 ते 35 | 0 |
|  | 3. आस्थापना खर्च | आस्थापना खर्च ÷ एकूण उत्पन्न x 100 | 20 ते 25 | 0 |
|  | 4. दिलेले व्याज | दिलेले व्याज ÷ एकूण उत्पन्न x 100 | 50 ते 55 | 0 |
| **क** | **अन्य** **प्रमाणके** |  |  |  |
|  | 1. निधीच्या खर्चाचे प्रमाण | ठेवीवर दिलेले व्याज ÷कर्जावर दिलेले व्याजx 100 |  | 0 |
|  | 2. एकूण उत्पन्नाशी प्रमाण | नफा ÷ उत्पन्न x 100 |  | 0 |
|  | 3. निव्वळ नफयाचे सरासरी खेळत्या भागभांडवलाशी प्रमाण | निव्वळ नफा ÷सरासरी खेळते x 100 |  | 0 |
|  | 4. व्यवसायातील नफयाचे सरासरी खेळत्या भांगभांडवलाचे प्रमाण | व्यवसायातील नफा (तरतुदीपुर्वी) ÷ सरासरी खेळते भागभांडवल x 100 |  | 0 |
|  | 5.नफयाचे कर्जे + गुतंवणुकीशी प्रमाण |  |  | 0 |
|  | 6. व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण | व्यवस्थापन खर्च ÷ खेळते भांडवल x 100 |  | 0 |
|  | 7. मुदत ठेवीचे एकूण ठेवींशी प्रमाण | मुदत ठेवी (बचत व चालू ठेवी वगळून) ÷ एकूण ठेवी x 100 |  | (self caculation) |
|  | 8. सरासारी ठेव वाढीचे प्रमाण | गतवर्षातील ठेव ÷ सरासारी ठेव x 100 |  | 0 |
|  | 9.स्वनिधीचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण | स्वनिधी ÷ खेळते भांडवल x 100 |  | 40 |
|  | 10. सभासद वाढीचे प्रमाण | चालु वर्षातील सभासद संख्या ÷ गत वर्षातील सभासद संख्या x 100 |  |  |
|  | 11. थकबाकीचे कर्जाशी प्रमाण | थकबाकी  ÷ एकूण कर्ज x 100 |  |  |
|  | 12. सी डी रेशो | एकूण कर्ज -उपलब्ध निधी ÷ ठेवी x 100 | 65 ते 70 | 0 |
|  | 13. ढोबळ अनुत्पादक जिदंगी प्रमाण | एनपीए झालेल्या सर्व कर्जाची येणे बाकी ÷ एकूण ढोबळ कर्ज x 100 |  | 0 |
|  | 14. निव्वळ अनुत्पादक जिंदगी प्रमाण | ढोबळ अनुत्पादीक जिदंगी - अनुत्पादक जिदंगीची केलेली तरतुद ÷ अनुत्पादक कर्ज x 100 |  | 0 |

**ड - ठेवी व कर्जे व्यवहार**

**अ) ठेव व्यवहार**

1. **ठेवींची तुलनात्मक आकडेवारी :-**

**मागील आर्थिक वर्षातील व चालु आर्थिक वर्षातील तुलनात्मक आकडेवारी खालीलप्रमाणे**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र | ठेवीचा प्रकार | दि. 31/03/ 2024 | दि. 31/03/ 2025 | वाढ/घट | वाढ/घट प्रमाण (%) | एकूण ठेवीशी प्रमाण% |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |

**मागील वर्षाच्या तुलनेत ठेवीमध्ये झालेल्या वाढ/घटीबाबत कारणमिमांसा नमुद करा.**

1. **अल्प मुदत व दिर्घ मुदत ठेवी**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र | ठेवीचा कालावधी | दि. 31/03/ 2024 | दि. 31/03/ 2025 | वाढ/घट | वाढ/घट प्रमाण  (%) | एकूण ठेवीशी  प्रमाण% |
|  | चालू ठेवी |  |  |  |  |  |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |

**मुदत संपलेल्या व देय झालेल्या मुदत ठेवीवर देय व्याज आकारणी योग्य प्रमाणात केली जात असलेबाबतचा तपशील नमूद करा. (उदाहरणादाखल काही खात्याची तपासणी करावी.)**

1. **कालनिहाय ठेव परिपक्कवता :-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | तपशील | ठेव खात्यांची संख्या | ठेव रक्कम | एकूण ठेवीशी प्रमाण % | शेरा |
| 1 | मुदत संपलेल्या व मागताक्षणी  परत करावयाच्या ठेवी |  |  |  |  |
| 2 | १ वर्षाच्या आत मुदत संपणा-या ठेवी |  |  |  |  |
| 3 | 2 वर्षाच्या आत मुदत संपणा-या ठेवी |  |  |  |  |
| 4 | 3 वर्षाच्या आत मुदत संपणा-या ठेवी |  |  |  |  |
| 5 | 4 वर्षाच्या आत मुदत संपणा-या ठेवी |  |  |  |  |
| 6 | 5 वर्षाच्या आत मुदत संपणा-या ठेवी |  |  |  |  |
| 7 | १ वर्षाच्या पुढे मुदत संपणा-या ठेवी |  |  |  |  |

**कालनिहाय ठेव परिपक्कवतेच्या अनुषंगाने अभिप्राय नमुद करावेत.**

1. **ठेवीवर दिला जाणारा व्याजदर :-**

**संस्थेने लेखापरिक्षण कालावधीत खालिल नमुद व्याजदराने ठेवी स्विकारलेल्या आहेत.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | ठेवीचा प्रकार | व्याज दर | नियमक मंडळाच्या निर्णयास अनुसरुन आहेत काय? |
| 1 | बचत |  |  |
| 2 | आवर्त |  |  |
| 3 | मुदत |  |  |
| 4 | नित्यनिधी |  |  |

1. **नाममात्र सभासद ठेवी**

**संस्थेने खालीलप्रमाणे नाममात्र सभासदांकडुन ठेवी स्विकारलेल्या आहेत.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.   क्र. | नाममात्र सभासदांची संख्या |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

1. **दैनंदिनी ठेवीबाबत :**

**पतसंस्थामध्ये दैनंदिनी ठेवी मोठ्याप्रमाणात स्विकारल्या जातात. तसेच या ठेव व्यवहारात अनियमितता गैरव्यवहार होण्याची संभावना असते. यास्तव सदर ठेव व्यवहाराचे लेखापरिक्षण काळजीपुर्वक करणे आवश्यक आहे. यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेऊन अभिप्राय देणेत यावेत.**

1. **दैनंदीन ठेव प्रतिनिधींकडून रोजच्या रोज संस्थेत जमा केली जाते काय याबाबत स्वतंत्र यांत्रणा संस्थेने निर्माण केली आहे काय. -**
2. **दैनंदिन बचत ठेवीचे नियम तयार केले आहेत काय? -**
3. **संस्थेने व्यक्तींची दैनंदिनी ठेव प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली आहे.**
4. **दैनंदिनी ठेव प्रतिनिधींची नियुक्ती करतांना केवायसी पूर्तता , नियुक्ती आदेश इ. पूर्तता केली .**
5. **दैनंदिन बचत ठेव प्रतिनिधी यांचेकडून जामीनकीचे बॉन्ड व रक्कम घेतले आहे काय? -**
6. **संस्था ठेव प्रतिनिधि यांना जमा केलेल्या दैनंदिनी ठेवीवर % दराने दरमहा कमिशन अदा करते.**
7. **सदर कमिशनमधून सुरक्षा ठेवीपोटी किती रक्कम जमा केली जाते.**
8. **सुरक्षा ठेवीवर ठेव प्रतिनिधिला %व्याज अदा केले जाते.**
9. **आयकर नियमानुसार कमिशन रकमेवर टीडीएस कपात केला असून त्याचा संस्थेने नियमित भरणा केला आहे. दैनंदिन ठेव प्रतिनिधि संस्थेचे सभासद .**

**ब. कर्ज व्यवहार**

1. **कर्जाची तपासणी**
2. **वैयक्तिक व समूह महत्तम कर्ज मर्यादा :**

**महाराष्ट्र राज्य बिगरकृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ यांच्याकडील पत्र दि. 15/01/2022 निर्णयानुसार बिगर कृषी पतसंस्थामधील एका सभासदाची व ग्रुप कर्जाची महत्तम मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार संस्थेस वैयक्तिक महत्तम कर्ज मर्यादा स्वनिधिच्या 15% किंवा रु. ---- लाख यापैकि जी कमी असेल ती ग्रूपसाठी मर्यादा स्वनिधिच्या 20% किंवा रु. ---- लाख यापैकी जी कमी असेल ती आहे. सदर मर्यादेचे उल्लंधन करुन खालील सभासदांना कर्ज अदा केले आहे.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | दिनांक | कर्ज खाते क्र. | कर्जदाराचे नांव | रक्कम |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

1. **विनातारणी कर्ज मर्यादा :-**

**महाराष्ट्र राज्य बिगरकृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ यांच्याकडील पत्र दि. 15/01/2020 मधील निर्णयानुसार बिगर कृषी पतसंस्थामधील सभासदांसाठी सामान्य कर्ज मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार संस्थेस सामान्य कर्ज मर्यादा रु. ---- असून सदर मर्यादेचे उल्लंधन करुन खालील सभासदांना कर्ज अदा केले आहे.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | दिनांक | कर्ज खाते क्र. | कर्जदाराचे नांव | रक्कम |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **पत ठेवी प्रमाण (सी डी रेशो) : 0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| अ.क्र. |  |  |
| 1 | स्वनिधी रु | 50 |
| 2 | वजा राखीव निधि | 0 |
| 3 | मालमत्ता | 0 |
| 4 | इतर भाग | 0 |
| 5 | उपलब्ध निधि | 0 |
| 6 | एकूण कर्ज - उपलब्ध निधि ÷ ठेवी x१०० | 0 - 50 ÷ 0 x100 |

1. **दि. 31/03/ 2025 अखेर येणे कर्ज**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | कर्जाचा प्रकार | दि. 31/03/ 2025 अखेर येणे कर्ज | एकूण येणे कर्जाशी प्रमाण | शेरे |
|  | एकूण | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |

1. **कर्जाची कालनिहाय विगतवारी**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | कर्जाचा कालावधी | दि. 31/03/2025 अखेर येणे कर्ज | एकूण येणे कर्जाशी प्रमाण | शेरे |
| 1 | अल्प मुदत कर्ज |  |  |  |
| 2 | मध्यम मुदत कर्ज |  |  |  |
| 3 | दिर्घ मुदत कर्ज |  |  |  |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 |

1. **तारणी विनातारणी कर्जे:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | कर्जाचा कालावधी | दि. 31/3/2025 अखेर  येणे कर्ज | पैकी तारणी कर्जाशी   प्रमाण | विनातारण कर्जे  रक्कम |
| 1 | नियमित कर्ज |  |  |  |
| 2 | तारण कर्ज |  |  |  |

1. **थकबाकी :**
2. **थकबाकी रक्कम :**

**दि. 31/03/ 2025 अखेर येणे कर्ज व थकबाकीचा तपशील खालेलप्रमाणे**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | कर्जाचा प्रकार | दि. 31/03/2025 अखेर  येणे कर्ज | पैकी थकबाकी रक्कम | येणे कर्जाचे  थकबाकीचे प्रमाण |
| 1 | नियमित कर्ज |  |  |  |
| 2 | तारण कर्ज |  |  |  |
| 3 | आक्समीत कर्ज |  |  |  |
| 4 | सभासद वस्तु कर्ज |  |  |  |

**दि. 31/03/2024 (गतवर्षी) अखेर येणे कर्ज बाकी रु. असून पैकि थकबाकी रु. होती. दि. 31/03/2025 (चालूवर्षी) अखेर येणे कर्ज बाकी रु. असून पैकि थकबाकी रु. आहे. थकबाकी चे एकूण येणे बाकीशी प्रमाण % आहे. गतवर्षीपेक्षा सदरच्या प्रमाणात % वाढ /घट झाली आहे. गतवर्ष अखेर असलेल्या थकबाकी पैकि रु. थकबाकी वसूल झाली आहे. सदर थकबाकी वसूलीचे प्रमाण % आहे. थकबाकीचा अहवाल दरमहाच्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठेवून त्यावर चर्चा करण्यात आली .**

1. **शाखानिहाय थकबाकी पुढील प्रमाणे :-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | शाखेचे नांव | थकबाकीदार संख्या | येणे कर्ज रक्कम | एकूण येणे कर्जाशी प्रमाण |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

1. **कालनिहाय थकबाकी पुढीलप्रमाणे :-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | कालनिहाय थकबाकी | थकबाकीदार संख्या | रक्कम | एकूण येणे कर्जाशी प्रमाण |
| 1 | एक वर्षाच्या आतील |  |  |  |
| 2 | एक ते तीन वर्षाच्या आतील |  |  |  |
| 3 | तीन ते पाच वर्षाच्या आतील |  |  |  |
| 4 | पाच वर्षाच्या वरील |  |  |  |
|  | एकूण | 0 | 0 | 0 |

1. **प्रभावशाली थकबाकीदार (25 मोठे थकबाकीदार):-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | दिनांक | कर्ज खाते क्र. | कर्जदाराचे नांव | थकबाकी  रक्कम | संस्थेने केलेली  कार्यवाही |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

**थकबाकीदारांवर पुढील प्रमाणे कायदेशीर कारवाई करण्यात आली .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | तपशील | थकबाकीदार संख्या | रक्कम |
| 1 | थकबाकी वसूलीच्या नोटीस |  |  |
| 2 | कलम 101 अन्वये दाखल केलेले दावे |  |  |
| 3 | कलम 101 अन्वये प्राप्त वसूली दाखले |  |  |
| 4 | कलम 156 अन्वये पाठविलेल्या जप्ती नोटिस |  |  |
| 5 | जप्ती केलेली प्रकरणे |  |  |
| 6 | लिलावात काढलेली प्रकरणे |  |  |
| 7 | कलम 100 व नियम 85 अन्वये संस्थेच्या नावे हस्तांतरीत केलेली मालमत्ता प्रकरणे |  |  |
| 8 | निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट कलम 138 अन्वये दाखल केलेले दावे |  |  |

**लेखापरीक्षण कालावधीत नव्याने दावे दाखल केलेले . एकूण थकबाकीदारांची संख्या पहाता वसूलीसाठी कायदेशीर कारवाई केल्याचे प्रमाण कमी आहे. सर्व थकबाकीदारांवर संचालक मंडळाने योग्य त्या कायदयांतर्गत वसूली बाबतची कारवाई करुन पाठपुरावा करावा. थकबाकी वसूलीची संपूर्ण जबाबदारी वैयक्तिक व सामुहिकरित्या संचालक मंडळ व व्यवस्थापकावर आहे याची नोंद घ्यावी. कारवाई केलेल्या थकबाकिदारांची यादी अहवालासोबत जोडली .**

1. **थकित येणे व्याज :-**

**संस्था कर्ज खात्यावर दरमहा व्याज आकारणी करत . सहकारी तत्वानुसार कर्ज खात्यावर वसूल न होणारे व्याज उत्पन्नात घेता येत नाही. संस्थेच्या व्याज आकारणीच्या धोरणानुसार थकित खात्यावर व्याजाची आकारणी केल्याने रु. /- व्याज उत्पन्नात घेतलेले . थकित येणे व्याजाची दि. ---- अखेर रु. ---- तरतूद केलेली आहे.**

1. **बुडीत कर्जे जमा खर्चातून काढून टाकणे :**

**\_\_\_\_ महाराष्ट्र राज्य संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 मधिल नियम 49 अन्वये जी कर्जे वसूल होत नाही व जी कर्जे कलम 49 अन्वये केलेल्या लेखापरीक्षकाने बुडीत कर्जे म्हणून प्रमाणित केली असतील अशी कर्जे व त्यावरील व्याज आणि त्याच्या संबंधातील वसूलीचा खर्च ही बुडीत कर्जे निधितून खर्ची टाकलेली . अशी एकूण कर्जे संख्या ---- असून व कर्जे रक्कम रु. --- आहे. अशी कर्जे बुडीत कर्जे निधितून खर्ची टाकतांना संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 मधिल नियम 49 व 49 (1)व (2)मधील नियमांचे पालन केले .**

1. **शासनाने लागू केलेली एकरकमी कर्ज परतफेड योजना :-**

**संस्थेने एकरकमी कर्ज परतफेड योजना स्विकारली आहे / नाही.सदर योजनेअंतर्गत एकूण ----- कर्ज प्रकरणे विहित मुदतीत दाखल झाली असून पैकी ---- कर्ज प्रकरणास मंजूरी दिली आहे. पैकी ---- कर्जदारांनी नियम व अटीनुसार कर्ज भरणा केला आहे. सदर कर्ज प्रकरणांमध्ये संस्थेने एकूण ---- रुपयांची व्याज रकमेत व ---- रुपयांची मुद्दल रकमेत सुट दिली आहे. सदर योजनेतील निकषानुसार संचालक मंडळाने नियमबाहयपणे ----- प्रकरणी -------- रुपयांची मुददलात सुट दिली आहे.**

**(टिप - १.संस्थेने संस्था स्तरावर एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविली असल्यास कर्ज प्रकरण निहाय निबंधकाची मान्यता घेतली आहे किंवा नाही याबाबत अभिप्राय नमुद करावेत. २. संस्थेने नियमबाह्य पध्दतीने सुट दिलेल्या कर्जप्रकरणांबाबत अभिप्राय नमुद करावेत.)**

1. **अनुत्पादित जिंदगी :-**

**अनुत्पादित कर्जाची करावयाची तरतुद**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | तपशिल | कर्जदार  संख्या | येणे कर्ज रक्कम | तरतुद  करावयाचे % | तरतुद  करावयाची   रक्क्म | संस्थेने केलेली   तरतुद | कमी/जादा तरतुद |
| 1 | स्टॅन्डर्ड कर्ज ( 9 महिने पर्यंत) |  |  | 00.25 | 0 |  | 0 |
| 2 | अनियमित कर्ज (थकित महिने 10 ते 24) |  |  | 0.50 | 0 |  | 0 |
| 3 | संशयीत 1 (25 ते 48 महिनेपर्यंत) |  |  |  |  |  |  |
|  | तारणी |  |  | 10 | 0 |  | 0 |
|  | विनातारणी |  |  | 50 | 0 |  | 0 |
| 4 | संशयीत 2 (49 ते 60 महिनेपर्यंत) |  |  |  |  |  |  |
|  | तारणी |  |  | 15 | 0 |  | 0 |
|  | विनातारणी |  |  | 50 | 0 |  | 0 |
| 5 | संशयीत 3 (60 महिनेपासुन पुढे) |  |  |  |  |  |  |
|  | तारणी |  |  | 100 |  |  | 0 |
|  | विनातारणी |  |  | 100 |  |  | 0 |
| 6 | बुडीत कर्ज |  |  | 100 |  |  | 0 |
|  | **एकूण** **अनुत्पादीत** **कर्जे** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** |

**अहवाल वर्षाअखेर एकूण कर्ज खाती एनपीए मध्ये असून त्यांची कर्ज येणे बाकी रु. 0 आहे. व त्यापोटी संस्थेने रु. 0 तरतूद करणे आवश्यक असतांना रु. 0 तरतूद केली आहे. म्हणजेच रु. 0 जादा / कमी तरतूद केली आहे.**

**(टिप - लेखापरीक्षकाने संस्थेने दिलेले अनुत्पादक जिंदगी तपासून प्रमाणित करुन स्वतंत्र रित्या**

**लेखापरीक्षण अहवालासोबत जोडण्यात यावी)**

1. **एन.पी.ए. प्रमाण - एन.पी. ए ची तरतुद केले**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | तपशील | थकबाकीदार  संख्या | रक्कम |
| 1 | एकूण कर्जे |  |  |
| 2 | ढोबळ एनपीए |  | 0 |
| 3 | येणे व्याज |  |  |
| 4 | तरतूद |  | 0 |
| 5 | निव्वळ कर्ज (1-3-4) |  | 0 |
| 6 | निव्वळ एनपीए (2-3-4) |  | 0 |
| 7 | ढोबळ एनपीए टक्केवारी (2/1x100) |  | 0 |
| 8 | निव्वळएनपीए टक्केवारी (6/5x100) |  | 0 |

**दि. 31/03/2024 (गतवर्ष)अखेर ढोबळ एनपीए प्रमाण % व निव्वळ एनपीए प्रमाण % होते. तर दि. 31/03/2025 (चालूवर्ष)अखेर ढोबळ एनपीए प्रमाण 0 % व निव्वळ एनपीए प्रमाण 0 % आहे. सदरचे प्रमाण आहे.**

1. **संचालक व संचालक नातेवाईक कर्ज :-**

**संस्थेने एकूण संचालकांना रु. ....---- कर्ज दिलेली . तसेच संचालक नातेवाईकांना रु. ---------- कर्ज दिलेली . एकूण कर्जापैकी संचालक व संचालक नातेवाईकांना उपविधि मधील नियम क्रमांक चे उल्लंघन करुन विनातारणी /महत्तम कर्ज मर्यादाचे उल्लंघन करुन अदा केले आहे. संचालक व संचालक नातेवाईक कर्ज यांचेकडे एकूण येणे कर्जबाकी रु. ------------- असून पैकी थकबाकी रु.---------- आहे. थकबाकि वसूलीसाठी केलेल्या कारवाईचा उल्लेख करावा. संचालक व संचालक नातेवाईक कर्जाचे एकूण येणे कर्ज बाकीशी प्रमाण ------ % आहे. उपविधितील कर्ज नियमानुसार संचालक व नातेवाईकांना एकूण कर्जाच्या ------% पैक्षा जादाचे कर्ज अदा करता येत नाही.**

**समारोप - संस्थेच्या लेखापरीक्षणावेळी संस्थेचे चेअरमन, पदाधिकारी, व्यवस्थापक व कर्मचारी यांनी चांगल्याप्रकारचे सहकार्य केले त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.**

**लेखापरीक्षण वर्गवारी - नागरी/ग्रामिण बिगरशेती पतसंस्था या संस्थांच्या प्रकारासाठी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाने तयार केलेल्या गुणपत्रकानुसार संस्थेस सन 2024- 2025 या आर्थिक वर्षाकरीता लेखापरीक्षण वर्ग ssss देण्यात येत आहे.**

**भाग क**

**(लेखापरिक्षणावेळी शक्य त्या दोषांची पुर्तता करुन घेण्यात आली, ज्या दोषांची पुर्तता झाली नाही त्या**

**\_\_\_दोषांचा तपशील खालीलप्रमाणे)**

**1) नावे व्हावचर्स तपासणी करताना निदर्शनास आलेले दोष:**

**सर्वसाधारण दोष;**

1. **मोठ्या प्रमाणात रोखीने रक्कमा अदा केलेल्या आहेत.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | व्हाचर क्रमांक | दिनांक | रक्कम | खात्याचे शिर्षक | आक्षेप |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. **रक्कम प्राप्त झाल्याबद्दल संबधितांच्या सह्या घेतलेल्या नाहीत.ऊदा.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | व्हाचर क्रमांक | दिनांक | रक्कम | खात्याचे शिर्षक | आक्षेप |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. **अन्य दोष.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | व्हाचर क्रमांक | दिनांक | रक्कम | खात्याचे शिर्षक | आक्षेप |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

**2) जमा व्हावचर्स तपासणी करताना निदर्शनास आलेले दोष:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | व्हाचर क्रमांक | दिनांक | रक्कम | खात्याचे शिर्षक | आक्षेप |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

**3) कर्ज रोखे व कर्ज व्यवहार तपासणी करताना निदर्नास आलेले दोष;**

**लेखापरिक्षण कालावधीत नव्याने मंजुर केलेली व नुतणिकरण केलेली मोठ्या कर्ज प्रकरणांचे तपासणी करावी. तसेच कर्ज प्रकरणाची तपासणी करताना सर्वसाधारणपणे खालिल मुद्दे विचारात घ्यावेत.**

1. **संस्थेच्या मंजुर कर्ज धोरणानुसार कर्ज मंजुर केले आहे काय? -**
2. **कर्जाचे नुतनीकरण असल्यास ते योग्य पध्दतिने केले आहे काय? -**
3. **विहित अटी, शर्तीसह कर्ज मंजुरी आदेश दिले आहे काय? -**
4. **वैयक्तिक महत्तम कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे काय? -**
5. **समुह कर्ज महत्तम मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे काय? -**
6. **कर्जाचे तारण सुरक्षित व निर्वेध आहे काय? -**
7. **सुरक्षीत व असुरक्षित कर्जासाठी पोटनियमाप्रमाणे निर्धारित प्रमाणात भाग कपात केली आहे काय? -**
8. **संस्थेने कर्जातून नियमबाहय कपाती केल्या आहेत काय? -**
9. **जूनी कर्जे निरंक करण्यासाठी नविन कर्ज मंजुर केले आहे काय? -**
10. **कर्जदार नियमीत सभासद आहे काय? -**
11. **कर्जास तारण घेतलेल्या मालमत्तेचे शासकीय मुल्यांककांकडून केलेले मुल्यांकन यथोचित आहे काय? तसेच तारण मालमत्ता निर्वेध आहे काय? -**
12. **कर्जास तारण घेतलेली मालमत्ता पुरेशी आहे का? व त्यावर संस्थेने बोजा नोंद केली आहे काय? -**
13. **कर्जमंजूरी-पाश्चात पाठपुरावा व कर्ज रक्कमेचा विनियोग या प्रमुख बाबींचा अंतर्भाव कर्ज धोरणामध्ये समावेशीत आहे काय? -**

**(कर्ज प्रकारनिहाय दोष नमुद करावेत)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अ.क्र. | कर्जदाराचे नांव | कर्ज प्रकारव खाते क्रमांक | कर्ज मंजूर दिनांक | कर्ज मंजूर रक्कम | दोष |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. **एन. पी. ए. ची तरतुद करण्यात आले नाही.**
2. **काही लोन केसेस मध्ये संभासदांना कर्ज देते वेळी त्याचा कडुन त्याचा आय संबधी उत्पन्नाचा दाखला/ आयकर विवरण पत्रक . व इतर कोण्त्याही बॅकेचे कर्ज नाही या संबधी दाखला घेण्यात आले नाही. व जमानत दारासंबधी संपुर्ण माहीती व फोटो घेण्यात आले नाही. कर्जफार्म मध्ये आगंठा घेण्यता आले असून आंगठा प्रमाणीत करण्यात आले नाही.**
3. **काही सभासदांचे वारसदाराचे नाव नोंदवीले नाही.**
4. **संस्था व्यवसाय कर रू 750.00 भरण्यात आले नाही.**
5. **50000.00 रू चा वर ठेवी स्वीकारतांना पॅन काॅर्ड घेतलेले नाही.**
6. **काही नित्यनिधी ठेव धारकांना सभासद बनविण्यात आले नाही.**
7. **तक्रार निवारण व तडजोड समिती स्थापन करण्यात आले नाही.**
8. **इमारत व रोख ने-ंउचय आण करणा-ंउचययाचा विमा का-सजयलेला नाही.**
9. **अंतगर्त लेखपरिक्षण करण्यात आले नाही.**

## ****लेखा परिक्षकांचा अहवाल****

### ****( महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा कलम 81 (5) (4) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 69 अन्वये द्यावयाचा )****

**मी xyz. ss र.न. 11111**

**या संस्थेचा सोबत जोडलेला 31 मार्च 2025 या दिनांकाचा ताळेबंद व सन 2024-2025 या सहकारी वर्षाचे नफातोटा पत्रक तपासले असून अहवाल करतो की**

**1) माझा लेखा परिक्षणाच्या उ‌द्देशासाठी माझा संपुर्ण ज्ञानाप्रमाणे / माहितीप्रमाणे विश्वासा प्रमाणे खालील प्रमाणे जरूरी ती सर्व माहिती व खुलासे मला उपलब्ध झाले आहेत.**

**2) माझा मते मला मिळालेली माहिती व खुलाश्याच्या आधारे**

**अ) ताळेबंद व नफातोटा पत्रक संस्थेने ठेवलेल्या हिशोब पुस्तकांशी जुळत असून सदर नमुद**

**31 मार्च 2025 या दिनांकाच्या ताळेबंद व्यवहाराची / कामकाजाची सत्य व वास्तव स्थिती दर्शवितो आणि नफातोटा पत्रकाचे बाबतीत त्या दिनांकास संपना-या वर्षातील नफा/तोट्याची सत्य व वास्तव स्थिती दर्शवितो.**

**ब) संस्थेचे हिशेब हे त्यावरील टिपणीस पात्र राहुन महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या कायदानुसार आवश्यक ती माहिती देणारे आहेत व संस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराची सत्य व वास्तव स्थिती दर्शवितात,**

**3) माझा मते संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा नियम व संस्थेचे पोटनियम यानुसार आवश्यक असणारी हिशोब पुस्तके योग्य रितीने ठेवलेली आहेत.**

**4) सन 2024-2025 या सहकारी वर्षासाठी संस्थेला लेखा परिक्षण वर्ग "" देण्यात येत आहे**

**स्थान : ss**

**दिनांक :**

**नागरी /ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था वैधानिक लेखापरीक्षण वर्गवारी गुणवत्ता**

**संस्थेचे नांव :- xyz**

**लेखापरीक्षण वर्षे सन 2024 - 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **अ. क्र.** | **तपशील** | **निकष गुण** | | **एकूण गुण** | **दिलेले गुण** |
| 1 | **भांडवल निधीचे (स्वनिधी) जोखीमभारीत जिंदगीशी प्रमाण**  **(CRAR- Capital to Risk Weighted Assets Ratio) :-** | | | 50 |  |
| अ) 9% पेक्षा अधिक | 50 | |  |  |
| ब) 7% पेक्षा अधिक ते 9% पर्यंत | 36 ते 45 | |  |  |
| क) 5% पेक्षा अधिक ते 7% पर्यंत | 26 ते 35 | |  |  |
| ड) 3% पेक्षा अधिक ते 5% पर्यंत | 16 ते 25 | |  |  |
| इ) 3% व त्यापेक्षा कमी |  | |  |  |
| 2 | **भांडवल निधी (स्वनिधी) वाढविण्याची क्षमता :-** |  | | 10 |  |
| अ) कर्ज रकमेतुन उपविधीनुसार कर्जाच्या प्रमाणात भाग रकमा कपात करीत असल्यास | 2 | |  |  |
| ब) नफ्यातून सहकार कायद्यातील तरतूदी प्रमाणे राखीव निधीची उभारणी केली असल्यास |  | |  |  |
| 1. निव्वळ नफ्याच्या किमान 25% राखीव निधीची उभारणी केली असल्यास | 6 | |  |  |
| 2. निव्वळ नफ्याच्या किमान 25% पेक्षा कमी राखीव निधीची उभारणी केली असल्यास | 0 | |  |  |
| (निबंधकाच्या मंजूरीने 25% पेक्षा कमी रकमा राखीव निधीस वर्ग केल्यास व त्या संदर्भातील अटी व शर्तीचे पालन केले असल्यास 6 गुण द्यावेत) | | |  |  |
| क) नफ्यातून सहकार कायदा, नियम व संस्था उपविधीतील तरतूदीनुसार इतर निधींची उभारणी:- | | |  |  |
| 1. इमारत निधी व इतर निधीची उभारणी केली असल्यास | | 2 |  |  |
| 2. इमारत निधी व इतर निधीची उभारणी केली नसल्यास | | 0 |  |  |
| 3 | **वसुल भाग भांडवलात झालेली वाढ :-** | | | 15 |  |
| अ) गत वर्षाशी तुलना करता वसुल भाग भांडवलामध्ये 10% पेक्षा जास्त वाढ असल्यास | | 15 |  |  |
| ब) गत वर्षाशी तुलना करता वसुल भाग भांडवलामध्ये 5% ते 10% पर्यंत वाढ असल्यास | | 10 |  |  |
| क) गत वर्षाशी तुलना करता वसुल भाग भांडवलामध्ये 5% पेक्षा कमी वाढ असल्यास | | 5 |  |  |
| 4 | **स्वनिधीतील वाढ :-** | |  | 25 |  |
| अ) स्वनिधीमध्ये गत वर्षाशी तुलना करता 7.5 % व त्यापेक्षा जास्त वाढ असल्यास | | 25 |  |  |
| ब) स्वनिधीमध्ये गत वर्षाशी तुलनस करता 5% व त्यापेक्षा जास्त ते 7.5 % पेक्षा कमी वाढ असल्यास | | 20 |  |  |
| क) स्वनिधीमध्ये गत वर्षाशी तुलना करता 2.5% व त्यापेक्षा जास्त ते 5% पेक्षा कमी वाढ असल्यास | | 10 |  |  |
| ड) स्वनिधीमध्ये 2.5% पेक्षा कमी वाढ असल्यास | | 5 |  |  |
| इ) स्वनिधीमध्ये गत वर्षीच्या तुलनेत घट/ऱ्हास असल्यास | | 0 |  |  |
|  | एकूण | |  | 100 | **0** |
|  | **2. जिंदगीची गुणवत्ता (Assets Quality) :- 100 गुण** | | | | |
| 1 | निव्वळ अनुत्पादक जिदंगी (Net N. P. A.) प्रमाण | |  | 30 |  |
| अ) 0% ते 5% पर्यंत असल्यास | | 30 ते 20 |  |  |
| ब) 5% पेक्षा अधिक ते 10% पर्यंत असल्यास | | 19 ते 10 |  |  |
| क) 10% पेक्षा अधिक ते 15% पर्यंत असल्यास | | 9 ते 0 |  |  |
| 2 | ढोबळ अनुत्पादक जिदंगी (Gross N. P. A.) प्रमाण:- | |  | 15 |  |
| अ) 5% व त्यापेक्षा कमी असल्यास | | 15 |  |  |
| ब) 5% पेक्षा अधिक ते 10% पर्यंत असल्यास | | 14 ते 10 |  |  |
| क) 10% पेक्षा अधिक ते 15% पर्यंत असल्यास | | 9 ते 5 |  |  |
| ड) 15% पेक्षा अधिक ते 20% पर्यंत असल्यास | | 4 ते 0 |  |  |
| 3 | **गत वर्षअखेर असणाऱ्या अनुत्पादक (N.P.A) चालू आर्थिक वर्षात झालेल्या वसुलीचे प्रमाण :-** | | | 15 |  |
| अ) 20% पेक्षा अधिक ते 30% व त्यापेक्षा अधिक असल्यास | | 11 ते 15 |  |  |
| ब) 10% पेक्षा अधिक ते 20% पर्यंत असल्यास | | 6 ते 10 |  |  |
| क) 10% पर्यंत असल्यास | | 0 ते 5 |  |  |
| 4 | **कर्ज व्यवहार** | | | 40 |  |
| अ) कर्ज प्रकरणी आवश्यक ते दस्तऐवज व कागदपत्रे घेऊन, कर्ज मागणी अर्ज परिपूर्ण भरलेला असल्यास | | 4 |  |  |
| ब) कर्जदाराची सांपत्तिक स्थिती, आर्थीक पत, तारण मालमत्ता, परतफेडीची क्षमता इ. बाबत छाननी करुन, टिपणी सादर करुन व उपविधीतील तरतुदीनुसार कर्जे मंजूर व वितरीत केली असल्यास | | 4 |  |  |
| क) उपविधीमधील तरतुदी व नियामक मंडळ निर्णयाप्रमाणे वैयक्तिक व समुह महत्तम कर्जे मर्यादेचे (Individual & Group Exposure Limit) केले असल्यास | | 4 |  |  |
| ड) ज्या कर्जास तारण घेणे आवश्यक आहे, अशा कर्जाचे बाबतीत, पुरेसे व विक्री योग्य तारण, मालमत्तेचे शोध अहवाल घेऊन, मुल्याकंन करुन कर्जे वितरीत केली जात असल्यास | | 4 |  |  |
| इ) स्थावर तारण मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत करुन कर्जबोजा नोंद केली जात असल्यास | | 4 |  |  |
| ई) उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे एकूण कर्जामध्ये, कर्ज प्रकारानुसार कमाल कर्जे मर्यादेचे पालन केले असल्यास | | 4 |  |  |
| उ) कर्ज मंजूर उद्देशाप्रमाणे कर्ज रकमेच्या विनियोगाची तपासणी केली असल्यास | | 4 |  |  |
| ऊ) कर्जास तारण मालाची/मालमत्तेची नियमित तपासणी केली असल्यास | | 4 |  |  |
| ए) वितरीत केलेल्या कर्जातून भाग रकमे व्यतिरीक्त अन्य कपाती केल्या नसल्यास | | 3 |  |  |
| ऐ) नियामक मंडळ निर्णयाप्रमाणे कर्जावरील कमाल व्याजदर मर्यादेचे पालन केले असल्यास | | 3 |  |  |
| ओ) उपविधिमधील कर्ज विषयक नियमास अनुसरुन संचालक व त्यांचे नातेवाईक यांचे कर्ज व्यवहार निकषाबाबत, येणे कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन झाले नसल्यास | | 2 |  |  |
|  | एकूण | |  | 100 | **0** |
|  | **3. व्यवस्थापन (Management) :- 100 गुण** | | | | |
| 1 | **सभा कामकाज** | | | 12 |  |
| अ) संभाची सुचना (अधिमंडळ बैठक, व्यवस्थापन समिती) विहीत मुदतीत पाठविली असल्यास | | 1 |  |  |
| ब) वार्षिक सर्वसाधारण सभा सहकार कायदा कलम 75 (2) मधील तरतुदीनुसार विहीत मुदतीत घेतली असल्यास | | 1 |  |  |
| क) संचालक मंडळाची उपविधितील तरतूदी प्रमाणे दरमहा किमान एक सभा घेऊन सभा कामकाज होत असल्यास | | 2 |  |  |
| ड) संचालक मंडळ सभेमध्ये आयत्या वेळेच्या विषयात धोरणात्मक बांबीवर निर्णय घेतले असल्यास | | 2 |  |  |
| इ) उपविधीतील तरतुदीनुसार उपसमित्यांची स्थापना करुन कामकाज होत असल्यास | | 2 |  |  |
| ई) उपविधीनुसार व्यवस्थापन समितीने तिची कर्तव्ये व जवाबदाऱ्यांचे पालन करुन कामकाज केले असल्यास | | 2 |  |  |
| उ) संचालक मंडळ सभेचे इतिवृत्त प्रत्येक संचालकांना वेळीच पाठविले जात असल्यास | | 2 |  |  |
| 2 | **सहकार तज्ञ संचालक:-** | |  | 4 |  |
| अ) उपविधीनुसार बँकींग/कायदा/लेखांकन/सनदी लेखापाल/सहकार क्षेत्रातील व्यवस्थापकीय पातळीवरील किंवा संचालक मंडळ सदस्य म्हणुन किमान 5 वर्षाचा अनुभव असेल यापैकी कमाल दोन तज्ञ संचालक स्वीकृत केले असल्यास | | 2 |  |  |
| ब) वरील अ मध्ये नमूद पात्रते प्रमाणे एक तज्ञ संचालक, संचालक मंडळावर स्वीकृत केला असल्यास | | 1 |  |  |
| क) वरील अ मध्ये नमूद पात्रते प्रमाणे एक तज्ञ संचालक, संचालक मंडळावर स्वीकृत केला नसल्यास किंवा दोन पेक्षा जास्त तज्ञ संचालक स्वीकृत केले असल्यास | | 0 |  |  |
| ड) तज्ञ संचालक किमान 50% संचालक मंडळ सभांना उपस्थित असल्यास | | 2 |  |  |
| इ) तज्ञ संचालक 50% संचालक मंडळ सभांना उपस्थित नसल्यास | | 0 |  |  |
| 3 | **सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण :-** | |  | 36 |  |
| अ) एका आर्थिक वर्षात एकूण सभासदांपैकी किमान 1/5 सभासदांना शासनाने अधिसुचित केलेल्या प्रशिक्षण संस्थेत 1 ते 3 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले असल्यास | | 10 |  |  |
| **ब) संचालकांना शासनाने अधिसुचित केलेल्या प्रशिक्षण संस्थेत किमान 1 ते 3 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले असल्यास** | | | | |
| 1) 100% संचालक प्रशिक्षित असल्यास | | 10 |  |  |
| 2) 75% 99 % पर्यंत संचालक प्रशिक्षित असल्यास | | 7 |  |  |
| 3) 50% ते 74% पर्यंत संचालक प्रशिक्षित असल्यास | | 5 |  |  |
| 4) 50% पेक्षा कमी संचालक प्रशिक्षित असल्यास | | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **क) अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना (वसुली अधिकारी धरुन ) शासनाने अधिसुचित केलेल्या प्रशिक्षण संस्थेत वर्षात किमान 2 ते 7 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले असल्यास** | | | | |
|  | 1) 100% अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित असल्यास | | 10 |  |  |
|  | 2) 75% ते 99% पर्यंत अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित असल्यास | | 8 |  |  |
|  | 3) 50% ते 74% पर्यंत अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित असल्यास | | 6 |  |  |
|  | 4) 25% ते 49% पर्यंत अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित असल्यास | | 4 |  |  |
|  | 5) 25% पेक्षा कमी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित असल्यास | | 0 |  |  |
|  | **ड) व्यवस्थापक /सर व्यवस्थापक/ महाव्यवस्थापक/ कार्यकारी संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वरीष्ठ अधिकारी नेमणूका:-** | | | | |
|  | 1) व्यवस्थापक /सर व्यवस्थापक /महाव्यवस्थापक/ कार्यकारी संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वरीष्ठ अधिकारी यांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व तांत्रिक क्षमता विचारात घेऊन सेवानियमानुसार नेमणूका केली असल्यास | | 2 |  |  |
|  | 2) वरीष्ठ अधिकारी/शा व्यवस्थापक /इतर अधिकारी /कर्मचारी यांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व तांत्रिक क्षमता विचारात घेऊन सेवानियमानुसार नेमणूका केली असल्यास | | 2 |  |  |
|  | 3) व्यवस्थापक /सर व्यवस्थापक /महाव्यवस्थापक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/यांनी नियामक मंडळ व शासनाचे निर्देश/परिपत्रके, कायदा, नियम,व उपविधिमधील  तरतुदीचे पालन करुन कामकाज केले  असल्यास | | 2 |  |  |
| 4 | **अनुत्पादक जिदंगी (N. P. A.) मधील संशयित वर्गवारीतील (Doubtful Category) कर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई:** | | 20 |  |  |
| अ) 100% संशयित वर्गवारीतील कर्जदारांवर कारवाई पूर्ण असल्यास | | 20 |  |  |
| ब) 75% ते 99% पर्यंत संशयीत वर्गवारीतील कर्जदारांवर कारवाई पूर्ण असल्यास | | 15 |  |  |
| क) 50% ते 74% पर्यंत संशयीत वर्गवारीतील कर्जदारांवर कारवाई पूर्ण असल्यास | | 10 |  |  |
| ड) 25% ते 49% पर्यंत संशयीत वर्गवारीतील कर्जदारांवर कारवाई पूर्ण असल्यास | | 5 |  |  |
| इ) 25% पेक्षा कमी संशयीत वर्गवारीतील कर्जदारांवर कारवाई पूर्ण असल्यास | | 0 |  |  |
| 5 | **कलम 101 खालील वसुली दाखले/कलम 91 खालील निवाडे अंमलबजावणी:-** | | 10 |  |  |
| अ) 75% व त्यापेक्षा जास्त अंमलबजावणी झाल्यास | | 10 |  |  |
| ब) 50% पेक्षा अधिक ते 75% पेक्षा कमी अंमलबजावणी झाल्यास | | 5 |  |  |
| क) 50% पेक्षा कमी अंमलवजावणी झाल्यास | | 0 |  |  |
| 6 | **सभासदत्व** | | 16 |  |  |
| अ) गतसालच्या तुलनेत सभासद संख्येत झालेली वाढ- | | | | |
| अ) 5% पेक्षा जास्त वाढ असल्यास | |  | 10 |  |
| ब) 2% 5% पर्यंत वाढ असल्यास | |  | 8 |  |
| क) 2% पेक्षा कमी वाढ असल्यास | |  | 0 |  |
| ब. सभासद प्रवेश | | | | |
| 1) अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार येथोचितरित्या सभासद करुन घेतले असल्यास | |  | 2 |  |
| 2) अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार येथोचितरित्या सभासद करुन घेतले नसल्यास | |  | 0 |  |
| **क. वारस नेमणूक (Nomination)** | |  |  |  |
| 1) सर्व सभासदांकडुन वारस नेमूण घेतले असल्यास | |  | 2 |  |
| 2) 50% पेक्षा जास्त व 100% पेक्षा कमी सभासदांकडुन वारस नेमूण घेतले असल्यास | |  | 1 |  |
| 3) 50% पेक्षा कमी सभासदांकडुन वारस नेमूण घेतले असल्यास | |  | 0 |  |
| **ड. भाग प्रमाणपत्र/भाग दाखला** | | | | |
| 1) 100% सभासदांना भाग प्रमाणपत्रे दिली असल्यास | |  | 2 |  |
| 2) 50% पेक्षा जास्त व 100% पेक्षा कमी सभादांना भाग प्रमाणपत्रे दिली असल्यास | |  | 1 |  |
| 3) 50% पेक्षा कमी सभासदांना भाग प्रमाणपत्रे दिली असल्यास | |  | 0 |  |
| 7 | संचालक मंडळ निवडणुक – संचालक मंडळाच्या निवडणूकी संदर्भात कायदा व नियमातील तरतूदीप्रमाणे आवश्यक ती पूर्तता वेळेवर केली असल्यास | |  | 2 |  |
|  | एकूण | |  | 100 | **0** |
| **4. उत्पन्न (Earnings) :- 100 गुण** | | | | | |
| 1 | **निव्वळ नफ्याचे सरासरी खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण :-** | |  | 10 |  |
| अ) 1% पेक्षा अधिक असल्यास | | 10 |  |  |
| ब) 0.80% पेक्षा अधिक ते 1% पर्यंत असल्यास | | 8 |  |  |
| क) 0.50% पेक्षा अधिक ते 0.80% पर्यंत असल्यास | | 6 |  |  |
| ड) 0.20% पेक्षा अधिक ते 0.50% पर्यंत असल्यास | | 4 |  |  |
| इ) 0.20% पर्यंत असल्यास | | 2 |  |  |
| 2 | **निव्वळ नफ्याचे सरासरी अधिक गुंतवणूकीशी प्रमाण :-** | |  | 10 |  |
| अ) 1.25% पेक्षा अधिक असल्यास | | 10 |  |  |
| ब) 0.90% पेक्षा अधिक ते 1.25% पर्यंत असल्यास | | 8 |  |  |
| क)0.60% पेक्षा अधिक ते 0.90% पर्यंत असल्यास | | 6 |  |  |
| ड) 0.30 % पेक्षा अधिक ते 0.60% पर्यंत असल्यास | | 4 |  |  |
| इ) 0.30% पर्यंत असल्यास | | 2 |  |  |
| 3 | **निव्वळ नफ्याचे स्वनिधीशी प्रमाण :-** | |  | 30 |  |
| अ) 10% पेक्षा अधिक असल्यास | | 30 |  |  |
| ब) 5% पेक्षा अधिक ते 10% पर्यंत असल्यास | | 20 |  |  |
| क)2.5% पेक्षा अधिक ते 5% पर्यंत असल्यास | | 10 |  |  |
| ड) 2.5 % पर्यंत असल्यास | | 5 |  |  |
| 4 | **व्याजातील सरासरी दुरावा (Margin)** | |  | 10 |  |
| अ) 3% पेक्षा अधिक असल्यास | | 10 |  |  |
| ब) 2.5% पेक्षा अधिक ते 3% पर्यंत असल्यास | | 8 |  |  |
| क)2% पेक्षा अधिक ते 2.5 % पर्यंत असल्यास | | 6 |  |  |
| ड) 1.5 % पेक्षा अधिक ते 2 % पर्यंत असल्यास | | 4 |  |  |
| इ) 1.5% पर्यंत असल्यास | | 0 |  |  |
| 5 | **शिल्लक नफा व सर्व निधीस वर्ग केलेल्या नफ्याचे निव्वळ नफ्याशी प्रमाण:-** | | | 10 |  |
| अ) 75% पेक्षा अधिक असल्यास | 10 | |  |  |
| ब) 50% पेक्षा अधिक ते 75% पर्यंत असल्यास | 7 | |  |  |
| क)25% पेक्षा अधिक ते 50 % पर्यंत असल्यास | 4 | |  |  |
| ड) 25 % पेक्षा कमी असल्यास | 0 | |  |  |
| 6 | **व्यवसायातील नफ्याचे (Operating Profit) सरासरी खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण:-** | | | 10 |  |
| अ) 2% पेक्षा अधिक असल्यास | 10 | |  |  |
| ब) 1.50% ते 2% पर्यंत असल्यास | 8 | |  |  |
| क)1%  ते 1.50 % पेक्षा कमी असल्यास | 6 | |  |  |
| ड) 0.50 % ते 1 % कमी असल्यास | 4 | |  |  |
| इ) 0.50 % पेक्षा कमी असल्यास | 2 | |  |  |
| 7 | **व्यवस्थापन खर्चाचे सरासरी खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण:-** | | | 15 |  |
| अ) 2% पेक्षा अधिक असल्यास | 15 | |  |  |
| ब) 2% ते 2.5% पर्यंत असल्यास | 10 | |  |  |
| क)2.5%  ते 3 % पेक्षा कमी असल्यास | 5 | |  |  |
| ड) 3% पेक्षा अधिक असल्यास | 0 | |  |  |
| 8 | **तुरतूदी :-** | | | 5 |  |
| कलम 65, नियम 49 अ मधील तरतूदी व नियामक मंडळ परिपत्रकीय सूचनानुसार उत्पादक व अनुउत्पादक कर्ज, गुंतवणूक, इतर जिदंगी इ. बाबत आवश्यक तरतूदी केल्या असल्यास | 5 | |  |  |
| अन्यथा | 0 | |  |  |
|  | **एकूण** |  | | **100** | **0** |
|  | **5. तरलता (Liquidity) :- 100** | | | | |
| 1 | **सरासरी कर्जे व ठेवी प्रमाण (CD Ratio Cerdit to Deposit Ratio) :-** | | | 40 |  |
| अ) 60% ते 70% पर्यंत असल्यास | 40 | |  |  |
| ब)  71% ते 75% पर्यंत असल्यास | 25 | |  |  |
| क) 76% ते 80% पर्यंत असल्यास | 10 | |  |  |
| ड) 60% ते 64% पर्यंत असल्यास | 30 | |  |  |
| इ) 55% ते 59% पर्यंत असल्यास | 25 | |  |  |
| ई) 50% ते 54% पर्यंत असल्यास | 15 | |  |  |
| उ) 45% ते 49% पर्यंत असल्यास | 10 | |  |  |
| ऊ) 45% पेक्षा कमी व 80% पेक्षा जास्त असल्यास | 0 | |  |  |
| 2 | **वैधानिक तरलता निधी प्रमाण (S. L. R. -Statutory Liquidity Ratio) :-** | | | 20 |  |
| अ) नियामक मंडळाने निर्धारीत केल्यानुसार संस्थेने दैनंदिनी पध्दतीने वैधानिक तरलता निधी प्रमाण राखून तरलतेपोटी कलम 70 व 144-10 अ प्रमाणे गुंतवणुक केली असल्यास | | 15 |  |  |
| अन्यथा | | 0 |  |  |
| ब) संस्थेने वैधानिक तरलता निधीबाबत दैनंदिनी पध्दतीने नोंदी ठेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशा नोंदी प्रमाणित करुन संचालक मंडळ सभेत दरमहा नोंद घेतली असल्यास | | 3 |  |  |
| अन्यथा | | 0 |  |  |
| क) नियामक मंडळाने निर्धारीत केल्यानुसार संस्थेने वैधानिक तरलता निधीचे विहीत नमुन्यातील तिमाही विवरणपत्र विहीत मुदतीत निबंधक कार्यालयास सादर केले असल्यास | | 5 |  |  |
| अन्यथा | | 0 |  |  |
| 3 | **रोख राखीव निधी प्रमाण त्रc. R. r. – Cash Reserve Ratio) :-** | | | 10 |  |
| अ) नियामक मंडळाने निर्धारीत केल्यानुसार संस्थेने दैनंदिनी पध्दतीने रोख राखीव निधी प्रमाण राखून कलम 70 व 144 – 9 अ चे पालन केले असल्यास | | 5 |  |  |
| अन्यथा | | 0 |  |  |
| ब) संस्थेने रोख राखीव निधीबाबत दैनंदिनी पध्दतीने नोंदी ठेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशा नोंदी प्रमाणित करुन संचालक मंडळ सभेत दरमहा नोंद घेतली असल्यास | | 3 |  |  |
| अन्यथा | | 0 |  |  |
| क) नियामक मंडळाने निर्धारीत केल्यानुसार संस्थेने रोख राखीव निधीचे विहीत नमुन्यातील तिमाही विवरणपत्र विहीत निबंधक कार्यालयास सादर केले असल्यास | | 2 |  |  |
| अन्यथा | |  |  |  |
| 4 | **मुदत ठेवीचे एकूण ठेवींशी सरासरी प्रमाण (Ratio of Term Deposits to Total Deposits) :-** | | | 10 |  |
| अ) 70% पर्यंत असल्यास | | 10 |  |  |
| ब) 70% ते 80% पर्यंत असल्यास | | 5 |  |  |
| क) 80% पेक्षा अधिक असल्यास | | 0 |  |  |
| 5 | **एकूण गुंतवणुकीत अनुत्पादक गुंतवणुकीचे प्रमाण :-** | |  | 10 |  |
| अ) 5% पेक्षा कमी असल्यास | | 10 |  |  |
| ब) 5% ते 10% पर्यंत असल्यास | | 8 |  |  |
| क) 10% पेक्षा अधिक ते 20% पर्यंत असल्यास | | 4 |  |  |
| ड) 20% पेक्षा अधिक असल्यास | | 0 |  |  |
| 6 | **गतसालच्या तुलनेत ठेवीमध्ये सरासरी वाढ:-** | |  | 10 |  |
| अ) 15% पेक्षा जास्त वाढ असल्यास | | 10 |  |  |
| ब) 10% ते 15% पर्यंत वाढ असल्यास | | 8 |  |  |
| क) 5% ते 9% पर्यंत वाढ असल्यास | | 5 |  |  |
| ड) 50% पेक्षा कमी वाढ असल्यास | | 0 |  |  |
| एकूण | |  | 100 | **0** |
|  | **6. कार्यपध्दती व नियंत्रण (System & Control) :- 100** | | | | |
| 1 | नियामक मंडळाकडील निर्णयाप्रमाणे ठेवीवरील द्यावयाच्या कामाल व्याजदर मर्यादेचे पालन केले असल्यास | |  | 4 |  |
| 2 | नियामक मंडळाच्या निर्णयानुसार स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीस अंशदान मुदतीत भरणा केले असल्यास | |  | 4 |  |
| 3 | कलम 79 (1अ) व (1ब ) मधील तरतुदीप्रमाणे अनिवार्य विवरणपत्रे, एम. आय. एस. इतर माहिती निर्धारीत मुदतीत संबधित निबंधाकडे सादर केलेली असल्यास | |  | 4 |  |
| 4 | कलम 75 (2अ) मधील तरतुदीप्रमाणे वैधानिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली असल्यास | |  | 2 |  |
| 5 | आयकर, व्यवसाय कर व इतर कायद्यानुसार लागू असणारी विवरणपत्रे विहीत मुदतीत संबंधीत विभागाकडे दाखल केली असल्यास | |  | 4 |  |
| 6 | संस्था उपविधीमध्ये नमूद उद्देशाप्रमाणे कामकाज करीत असल्यास | |  | 4 |  |
| 7 | दोष दुरुस्ती अहवाल :- | |  | 10 |  |
| अ) वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाचा दोष दुरुस्ती अहवाल विहीत मुदतीत सादर केला असल्यास | | 2 |  |  |
| ब) वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात नमूद दोषांची पूर्तता केली असल्यास | | 4 |  |  |
| क) अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालात नमूद दोषांची पुर्तता केली असल्यास | | 2 |  |  |
| ड) खात्याच्या तपासणी अहवालात नमूद दोषांची पूर्तता केली असल्यास | | 2 |  |  |
| 8 | अंतर्गत नियंत्रण, शाखा नियंत्रण, तपासणी व्यवस्था कार्यक्षम, प्रभावी व परिणामकारक असल्यास | |  | 2 |  |
| 9 | संस्थेने हिशोबी पुस्तके सहकार कायदा, नियम व उपविधीनुसार ठेवली असल्यास | |  | 4 |  |
| 10 | **संगणीकीकरण :-** | |  | 8 |  |
| अ) संस्थेच्या मुख्यालयासह सर्व शाखांचे कामकाज संगणीकृत असल्यास | | 2 |  |  |
| ब) इंडीपी व सिस्टिम ऑडीट होऊन त्यातील उणिवांची पूर्तता केली असल्यास | | 2 |  |  |
| क) संस्थेचा संगणकीय डाटा सुरक्षित जतन करणेसाठी आवश्यक उपाययोजना केली असल्यास | | 2 |  |  |
| ड) संस्थेचे सेवक संगणक प्रशिक्षित असल्यास | | 2 |  |  |
| 11 | सभासद “आय” नमुना नोंदवही व सभासद “जे” नमुना यादी अद्यावत असल्यास | |  | 3 |  |
| 12 | भाग भांडवल, सर्व प्रकारची कर्जे, ठेवी, व्याज येणे –देणे, इतर येणे देणे, थक व्याज तरतूद इ. याद्या ताळेबंदाशी जुळत असल्यास | |  | 5 |  |
| 13 | शाखा व मुख्यालय खाती जुळतात अथवा जुळत नसल्यास याबाबत तयार केलेल्या मेळपत्रकानुसार बाक्या जुळतात व त्यामध्ये तीन महिन्यापेक्षा जास्त काळाच्या नोंदी प्रलंबित नसल्यास | |  | 5 |  |
| 14 | बँक खातेतील बाक्या पासबुक/दाखला यांचेशी जुळत असल्यास अथवा जुळत नसल्यास याबाबत तयार केलेल्या मेळपत्रकानुसार बाक्या जुळतात व त्यामध्ये तीन महिन्यापेक्षा जास्त काळाच्या नोंदी प्रलंबित नसल्यास | |  | 5 |  |
| 15 | रोख रक्कम हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडुन नियमानुसार योग्य ते सुरक्षा तारण व हमी पत्र (Fidelity Guarntee) घेतले असल्यास | |  | 4 |  |
| 16 | रोख शिल्लक, कॅश इन ट्रान्झिट, सोने, इ. मालमत्ताचा सर्व समावेशक विमा घेतला असल्यास | |  | 4 |  |
| 17 | कर्मचारी सेवानियम व भविष्य निर्वाह निधी नियम तयार करुन त्याचे पालन होत असल्यास | |  | 4 |  |
| 18 | ठराविक कालावधीने कर्मचारी वर्गाच्या बदल्या होतात/त्यांचे कामात बदल केला जात असल्यास | |  | 4 |  |
| 19 | संस्थेचे सर्व ठेवीदार सभासद असल्यास | |  | 5 |  |
| 20 | उपविधीतीतल तरतूदीप्रमाणे संचालकांच्या ठेवी घेतल्या असल्यास | |  | 5 |  |
| 21 | हातावरील रोख शिल्लक सतत उपविधीनुसार मर्यादेत ठेवली असल्यास | |  | 5 |  |
| 22 | सभासदांची आपला ग्राहक जाणा (KYC Know Your Customer) निकषांची पूर्तता | |  | 5 |  |
|  | अ) 100%सभासदांची निकषांची पूर्तता केली असल्यास | | 5 |  |  |
|  | ब) 90% व त्यापेक्षा जास्त ते 100% पेक्षा कमी सभासदांची निकषांची पूर्तता केली असल्यास | | 4 |  |  |
|  | क) 80% व त्यापेक्षा जास्त ते 90% पेक्षा कमी सभासदांची निकषांची पूर्तता केली असल्यास | | 2 |  |  |
|  | ड) 80% पेक्षा कमी सभासदांची निकषांची पूर्तता केली असल्यास | | 0 |  |  |
|  | **एकूण** | |  | **100** | **0** |
|  | **अ. क्र. 1 ते 6 मुद्दे – एकूण गुण** | |  | **600** | **0** |

**सरासरी भरांकन  (Weighted Average)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **अ. क्र.** | **तपशिल** | **एकूण गुण** | **लेखा**  **परीक्षकाने दिलेले गुण** | **सरासरी भारांकन** | **सरासरी भारांकनानुसार दिलेले गुण** |
| 1 | भांडवल पर्याप्तता  (Capital Adequacy) | 100 | 0 | 15% | **0** |
| 2 | जिंदगीची गुणवत्ता (Assets Quality) | 100 | 0 | 25% | **0** |
| 3 | जिंदगीची गुणवत्ता (Management) | 100 | 0 | 15% | **0** |
| 4 | व्यवस्थापन (Earnings) | 100 | 0 | 20% | **0** |
| 5 | उत्पन्न (Liquidity) | 100 | 0 | 15% | **0** |
| 6 | तरलता (System and Control) | 100 | 0 | 10% | **0** |
|  | **एकूण** | **600** | **0** | **100%** | **0** |

**ब) सरासरी भारांकनानुसार (Weighted Average) येणाऱ्या एकूण गुणांतून खालील बाबतीत गुण वजा करावेत :-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **अ. क्र.** | **तपशिल** | **वजा करावयोच गुण** | **वजा केलेले गुण** |
| 1 | संस्थेमध्ये लेखापरीक्षण कालावधीमध्ये अपहार/गैरव्यवहार /अफरातफर/निधीचा दुर्विनियोग आढळुन आल्यास | 5 |  |
| 2 | नियम 35 प्रमाणे बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादेचे उल्लंघन झालेले असल्यास व त्यास निबंधकाची मंजूरी घेतली नसल्यास | 2 |  |
| 3 | 5% चे वर थकबाकी असल्यास | 2 |  |
| 4 | बँक खात्याची मेळपत्रके तयार केली असुन सुध्दा त्यामध्ये 3 महिन्याच्या वरील नोंदी प्रलंबित असल्यास | 1 |  |
| 5 | मुख्यालय व शाखांचे मेळ पत्रके तयार केली असुन सुध्दा त्यामध्ये 3 महिन्याच्या वरील नोंदी प्रलंबित असल्यास | 1 |  |
| 6 | भाग भांडवल, सर्व प्रकारची कर्जे, ठेवी, व्याज येणे देणे, इतर येणे देणे, थक व्याज तरतूद इ. यादया ताळेबंदाशी जुळेत नसल्यास | 2 |  |
| 7 | वैयक्तिक व समुह कमाल कर्ज मर्यादेचे (Exposure Limit) उल्लंघन झाले असल्यास | 2 |  |
| 8 | थकीत कर्ज वसुली वेळी समोपचार परतफेड योजना राबवितांना शासन निर्देशांचे उल्लंघन झाले असल्यास | 1 |  |
| 9 | कलम 70, 144-9 अ, 144-10अ, उपविधीमधील तरतूद व नियामक मंडहाकडील निर्देशांचे उल्लंघन करुन गुंतवणुकी केल्यास, तसेच अन्य पतसंस्थाकडुन ठेवी स्वीकारल्यास | 2 |  |
| 10 | कलम 144-7अ नुसार संस्थेस आवश्यक नसेल अशा मालमत्तेची विल्हेवाट मुदतीत लावली नसल्यास | 1 |  |
| 11 | कलम 65, निमय 49अ मधील तरतूदी व नियामक मंडळाकडील परिपत्रकीय सुचनांनुसार उत्पादक व अनुउत्पादक कर्ज, गुंतवणुक, इतर जिदंगी, इ. बाबत आवश्यक त्या सर्व तरतूदी न करता निव्वळ नफा/तोटा निश्चिचत केल्यास | 2 |  |
| 12 | संचालक मंडळ व संचालकांचे नातेवाईकांची कर्जे व इतर व इतर येणे रकमा थकीत येणे रकमा थकीत असल्यास व कायदेशीर कारवाई केली नसल्यास | 2 |  |
| 13 | कलम 144-4 अ मध्ये नमूद व्यतिरीक्त इतर कामकाज व कलम 144 – 6 अ मध्ये नमूद व्यतिरीक्त व्यापार संस्था करीत असल्यास | 2 |  |
| **एकूण** | | **25** | **0** |